रजिस्ट्री सं. डी. (डी.)-72

REGISTERED No. D. (D)-72

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 190] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 1, 1980/आश्विन 9, 1902

No. 190] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 1, 1980/ASVINA 9, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

(आयात व्यापार नियंत्रण)

सार्वजनिक सूचना सं० 37 आई टी सी (पी एन)/80

नई दिल्ली 1 अक्तूबर, 1980

विषय — विदेशी आर्थिक सहयोग निधि (ओ ई सी एफ) द्वारा प्रदान किए गए 2 7 बिलियन येन ऋण के अधीन माल के आयातों और सेवाओं के संबन्ध में लाइसेंस शर्तें।

विदेशी आर्थिक सहयोग निधि (ओ ई सी एफ) द्वारा प्रदान किए गए 2 7 बिलियन येन ऋण के अधीन टेलिकम्युनिकेशन परियोजना, (2) के लिए माल के आयातों और सेवाओं के संबन्ध में आयात लाइसेंसों के निर्गमन को नियंत्रित करने वाली शर्तें जो इस सार्वजनिक सूचना में दी गई है सामान्य के लिए अधिसूचित की जाती हैं।

[मिसिल सं० आई पी सी 23/3/80 से जारी]

मणि नारायण स्वामी मुख्य नियंत्रक आयात निर्यात

वाणिज्य विभाग की सार्वजनिक सूचना संख्या 37 आई टी सी (पी एन)/80, दिनांक 1-10-80 का परिशिष्ट।

विदेशी आर्थिक सहयोग निधि (ओ ई सी एफ) द्वारा प्रदान किए गए 2 7 बिलियन येन ऋण के अधीन टेलीकम्यूनिकेशन परियोजना (II) के लिए माल के आयातों और सेवाओं के संबन्ध में लाइसेंस शर्तें।

खण्ड—1—सामान्य शर्तें

1 (1) महानिदेशक डाकतार की दूर संचार परियोजना की आयात आवश्यकताओं के वित्तदान के लिए जापान की विदेशी आर्थिक सहयोग निधि (ओ ई सी एफ) द्वारा प्रदान किया गया 2 7 बिलियन येन का ऋण विकासशील देशों के लिए खुला है। तदनुसार इस क्रेडिट के अधीन अधिप्राप्त की जाने वाली वस्तुएं और सेवाएं जापान और अनुबन्ध—1 की सूची में उद्धृत सभी देशों से आयात की जा सकती है। ये देश इस ऋण के अन्तर्गत पात्र स्रोत देश होंगे।

1 (2) क्रेडिट के अधीन केवल उन्हीं मदों और उसी मूल्य के लिए लाइसेंस जारी किये जा सकते है जिनके लिए महानिदेशालय तकनीकी विकास/पूंजीगत माल समिति द्वारा विशेष रूप से निकासी कर दी गई हो। इस क्रेडिट के अधीन जारी किए गए आयात लाइसेंस (सो) का मूल्य 3,000 मिलियन (लागत बीमा भाड़ा) येन से अधिक नहीं होना चाहिए।

आयात लाइसेंस का रुपये में मूल्य, राजस्व विभाग (सीमा-शुल्क) द्वारा अधिसूचित विनिमय दर और आयात लाइसेंस जारी करने की तिथि को प्रचलित दर और मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात द्वारा जारी की गई सार्वजनिक सूचना सं० 78—आई टी सी (पी एन) 74 दिनांक 6 जून 1974 के पैरा 2 के अनुसार आयात लाइसेंस में संकेतित दर पर निर्धारित किया जाएगा। जिसमे यह भी उल्लेख है कि सीमा शुल्क प्राधिकारी और विदेशी मुद्रा के प्राधिकृत व्यापारी आयात लाइसेंस (सो) में विनिर्दिष्ट मुद्रा विनिमय दर पर लाइसेंस मूल्य के नाम डालेंगे। लाइसेंस पर एक शीर्षक 'जापानी येन ऋण संख्या आई डी पी—5 होगा। प्रथम और द्वितीय प्रत्यय के लिए लाइसेंस में "एस/जे एन' कोड होगा। महानिदेशक डाक तार को आयात लाइसेंस भेजते समय मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात के पत्र में भी इसे दुहराया जाएगा। जिसकी एक प्रति वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (जापान अनुभाग) को पृष्ठांकित की जानी चाहिए।

1 (3) लागत-बीमा भाड़ा के आधार पर केवल महानिदेशक डाकतार के नाम में ही लाइसेंस जारी किया जा सकता है।

1(4) महानिदेशक डाक तार की सुविधा पर निर्भर करते हुए एक से अधिक आयात लाइसेंस इस क्रेडिट के अधीन जारी किये जा सकते हैं। लेकिन कुल मूल्य 3,000 मिलियन (लागत बीमा भाड़ा) येन से अधिक नहीं होना चाहिए जैसा कि ऊपर पैरा (1) में कहा गया है।

1(5) आयात लाइसेंस की वैधता में वृद्धि महानिदेशक डाक तार द्वारा आवेदन करने पर 31-12-84 तक दी जा सकती है। इससे आगे की वृद्धि यदि कोई हो तो, वार्षिक कार्य विभाग (जापान अनुभाग) को भेजी जानी चाहिए।

1(6) क्रेडिट के अधीन वित्तदान किए जाने वाले आयात, आयात लाइसेंस से संलग्न माल और सेवाओं की सूची जोकि लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा विधिवत् सत्यापित हो, तक प्रतिबंधित है।

1(7) विदेशी मुद्रा के किसी भी परेषण की अनुमति आयात-लाइसेंस के प्रति नहीं दी जाएगी। भारतीय अभिकर्ता के कमीशन के प्रति कोई भी भुगतान भारतीय अभिकर्ता को भारतीय रुपये में किया जाना चाहिए। लेकिन ऐसे भुगतान लाइसेंस मूल्य के ही भाग होंगे और इसलिए लाइसेंस पर ही प्रभारित किए जाएंगे।

1(8) पक्के आदेश अनुबंध-1 में उल्लिखित देशों में स्थित विदेशी संभरकों को लागत-बीमा-भाड़ा के आधार पर दिए जाने चाहिए और वे आयात लाइसेंस जारी होने की तिथि से 4 महीनों की अवधि के भीतर वार्षिक कार्य विभाग (जापान अनुभाग) को भेज दिए जाने चाहिए। भाड़ा और बीमा प्रभार का भुगतान भारतीय रुपये में भारत में किया जाएगा। "पक्के आदेशों" का अर्थ विदेशी संभरकों को भारतीय लाइसेंस-धारी द्वारा दिए गए उन क्रय आदेशों से है जो या तो विदेशी संभरक द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित हो या भारतीय आयातक या विदेशी संभरक द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित क्रय संविदा हो। विदेशी संभरकों के भारतीय अभिकर्ताओं के आदेश या ऐसे भारतीय अभिकर्ताओं द्वारा पुष्टिकरण आदेश स्वीकार्य नहीं है।

1(9) चार महीनों की अवधि के भीतर बैंकों की इस शर्त का तब तक अनुपालन किया गया नहीं समझा जाएगा जब तक कि लेखे के पूर्ण दस्तावेज आयात लाइसेंस जारी होने की तिथि में चार महीनों के भीतर वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, डब्ल्यू ई-1 अनुभाग को नहीं पहुंच जाते हैं। यदि उपर्युक्त पैरा 1(8) में यथा उल्लिखित पक्के आदेश चार महीनों के भीतर वैध कारणों से नहीं दिए जा सकते हैं तो चार महीनों के भीतर आदेश क्यों नहीं दिए जा सकते इन कारणों का उल्लेख करते हुए लाइसेंसधारी को आयात लाइसेंस को सम्बद्ध लाइसेंस प्राधिकारी को प्रस्तुत कर देना चाहिए। आदेश देने की अवधि में वृद्धि के लिए ऐसे आवेदनों पर लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा पात्रता के आधार पर विचार किया जाएगा वे अधिक से अधिक चार महीनों की और अवधि के लिए वृद्धि प्रदान कर सकते हैं। लेकिन, यदि वृद्धि इस लाइसेंस के जारी होने की तिथि से 8 महीनों से अधिक के लिए मांगी जाती है तो ऐसे प्रस्ताव निरपवाद रूप से लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (जापान अनुभाग), नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली को भेजे जाएंगे जो कि ऐसी वृद्धि के लिए प्रत्येक मामले की पात्रता के आधार पर विचार करेंगे और अपना निर्णय लाइसेंस प्राधिकारियों को भेजेंगे जिसको वे लाइसेंसधारी को परेषित करेंगे।

लाइसेंसधारी द्वारा लाइसेंस प्राधिकारियों से केवल ऐसी वृद्धि प्रदान करने वाला एक पत्र प्रस्तुत करने पर ही प्राधिकृत व्यापारी और विभागीय पदाधिकारी, आयात लाइसेंस के अधीन किए गए संभरण ठेकों के संबन्ध में बैंक गारन्टी साक्षपत्र स्थापित करने के लिए प्राधिकारपत्र तुल्य रुपया जमा कराने की स्वीकृति आदि की सुविधाओं की अनुमति देंगे।

1(10) आयात लाइसेंस की समाप्ति से चार महीने के भीतर सभी भुगतान अवश्य पूर्ण कर देने चाहिए। माल के पोत लदान पर अलग-अलग भुगतानों की व्यवस्था होनी चाहिए। ठेके में नकद आधार पर अर्थात् पोतलदान दस्तावेजों के प्रस्तुत करने पर भुगतान की व्यवस्था होनी चाहिए। विदेशी संभरक से भारतीय आयातक को किसी भी किस्म की ऋण सुविधा उपलब्ध करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। माल के वितरण की अवधि के लिए ठेके में निम्नलिखित अनुसार व्यवस्था होनी चाहिए।

"साख पत्र की प्राप्ति के बाद.....महीने परन्तु अधिक से अधिक.....के अन्त तक पूर्ण किया जाना है।"

पोतलदान के लिए आखिरी तिथि निश्चित करने में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यह तिथि 31-12-84 के बाद की न हो।

खण्ड-2—संभरण ठेके का समझौता करते समय ध्यान में रखी जाने वाली विशेष बातें

2(1)(क) ठेके का जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य येन में (येन की भिन्न के बिना) अभिव्यक्त होना चाहिए और इसमें भारतीय अभिकर्ता का कमीशन, यदि कोई हो तो वह शामिल नहीं होना चाहिए जो कि भारतीय रुपए में चुकाना चाहिए। भारतीय रुपए या किसी अन्य मुद्रा में ठेके का मूल्य किसी भी परिस्थिति में अभिव्यक्त नहीं होना चाहिए। क्रय आदेश और संभरक द्वारा पुष्टिकरण आदेश केवल अंग्रेजी में होना चाहिए।

2(2) ओ०ई०सी०एफ० येन क्रेडिट (परियोजना सहायता) के अधीन माल और सेवाएं अधिप्राप्त करने के लिए विस्तृत निर्देश अनुबन्ध-2 में दिए गए है। लेकिन साधारणतया, माल और सेवाओं की अधिप्राप्ति औपचारिक खुली अन्तर्राष्ट्रीय संविदा के माध्यम से की जानी चाहिए और निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए :—

(क) बोली लगाने के लिए नियंत्रण भारत में सामान्य रूप से परिचालित होने वाली कम से कम एक अखबार में विज्ञापित करने पड़ेंगे।

(ख) बोली के बाण्ड या बोली लगाने की गारन्टी सामान्य आवश्यकता है परन्तु उनको इतना ऊंचा महत्व नहीं देना चाहिए कि उचित बोली लगाने वाले, हतोत्साहित हो जाएं।

(ग) बोली खुल जाने के बाद असफल बोलीकारों को यथा शीघ्र बोली बाण्ड या गारन्टियां रिहा कर देनी चाहिए।

2(3) जिन मामलों में औपचारिक खुली अन्तर्राष्ट्रीय संविदा उचित न हो वहां निधि निम्नलिखित वैकल्पिक क्रियाविधि अपनाएगी:—

(क) जहां आयातक के पास विश्वसनीय कारण हों या अपने उपस्कर का उचित मानकीकरण रखता हो।

(ख) जहां पर पात्र संभरकों की संख्या सीमित हो।

(ग) जहां अधिप्राप्ति में शामिल धनराशि इतनी कम हो कि विदेशी फर्म स्पष्ट रूप से दिलचस्पी न ले या यह कि औपचारिक खुली अन्तर्राष्ट्रीय संविदा के फायदे शामिल प्रशासकीय भार से महत्वपूर्ण हों।

(घ) ऊपर (क), (ख) और (ग) के अतिरिक्त जहां निधि औपचारिक खुली अन्तर्राष्ट्रीय निविदा का अनुकरण करना अनुचित समझे या निधि ऐसी प्रक्रिया को अनुपयुक्त समझे उदाहरणार्थ आपात अधिप्राप्ति के मामले में।

ऊपर संकेतित मामलों में निम्नलिखित अधिप्राप्ति प्रक्रिया इस ढंग से अपनाई जाए जिससे कि जहां तक उचित हो पूर्ण संभाव्य सीमा तक औपचारिक खुली अन्तर्राष्ट्रीय निविदा प्रक्रिया का अनुपालन हो सके:—

(1) औपचारिक चुनिन्दा अन्तर्राष्ट्रीय निविदा करना

(2) अनौपचारिक अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिक अधिप्राप्ति ।

(3) एक संभरक से सीधा क्रय ।

3 महानिदेशक डाक तार को विशेष कारण/औचित्य बताने वाली बोलियों के मूल्यांकन और तुलना पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए जिस पर न्यूनतम मूल्यांकित बोली आधारित हो और इसकी तीन प्रतियों के साथ बोली विश्लेषण विवरणी शीट, दस्तावेजी साक्ष्यों सहित यदि कोई हो तो वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (जापान अनुभाग) नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली को भेजनी चाहिए जो विदेशी आर्थिक सहयोग निधि (आई सी एफ) से उसका आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करेंगे । यह ध्यान में रखना चाहिए कि क्रय संविदा, वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) (जापान अनुभाग) द्वारा ओ०ई०सी०एफ० को केवल तभी अधिसूचित किया जाएगा जबकि रिपोर्ट आदि को आई०सी०एफ० से अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया हो ।

2(4) विदेशी संभरक का भुगतान, उनके नाम में भारतीय बैंक टोकियो द्वारा 1979-80 के लिए ओ ई सी एफ येन क्रेडिट (परियोजना सहायता) सं० आई डी पी-5 के अधीन खोले गए अपरिवर्तनीय साखपत्र के माध्यम से किया जाना चाहिए जिसका ब्यौरा नीचे खण्ड 6 में दिया गया है ।

2(5) आयात लाइसेंस के प्रति केवल एक ही संविदा की जानी चाहिए । लेकिन, कुछ विशेष मामलों में, एक से अधिक संविदा करने की अनुमति भी दी जा सकती है जिसके लिए आयात लाइसेंस जारी होने की तिथि के तुरन्त बाद वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (जापान अनुभाग) से अनुमोदित प्राप्त कर लेना चाहिए ।

2(6) संभरक की पात्रता

संभरक पात्र स्रोत देशों का नागरिक या पात्र स्रोत देशों के नागरिकों द्वारा यथार्थरूप से शासित वैध व्यक्ति होगा । उसे निम्नलिखित शर्तें पूर्ण करनी पड़ेंगी :—

(क) मात्र स्रोत देशों के नागरिकों द्वारा अधिकतर अभिदत्त शेयर रखे जाएंगे ।

(ख) अधिकतर पूर्ण कालिक निदेशक पात्र स्रोत देशों के नागरिक होंगे ।

(ग) ऐसे वैध व्यक्ति पात्र स्रोत देशों में पंजीकृत होंगे

2(7) संविदा में घोषणा

प्रत्येक संविदा में संभरकों द्वारा पात्रता का निम्नलिखित विवरण जोड़ा जाएगा :—

"मैं, अधोहस्ताक्षरी एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूं कि संभावित किया जाने वाला माल ..... मैं (पात्र स्रोत देश) उत्पादित है ।

मैं, अधोहस्ताक्षरी आगे यह प्रमाणित करता हूं कि मेरी पूरी जानकारी और विश्वास के अनुसार अपात्र स्रोत देशों से आयातित भाग निम्नलिखित सूत्र के अनुसार 30% से कम है :—

आयातित लागत बीमा-भाड़ा मूल्य आयातित शुल्क × 100"

संभरक का जहाज पर निशुल्क मूल्य

और

"मैं, अधोहस्ताक्षरी, एतद्द्वारा सत्यापित करता हूं कि———— (पात्र स्रोत देश का नाम) में———— (कम्पनी का नाम) समाविष्ट और पंजीकृत हो चुकी है और पात्र स्रोत देशों के नागरिकों द्वारा नियंत्रित है ।

2(8) अपात्र स्रोत देशों से अनुमेय आयात

जिन वस्तुओं में अपात्र स्रोत देशों में बनी हुई सामग्री निहित है उसका वित्तदान किया जा सकता है बशर्ते कि निम्नलिखित सूत्र के अनुसार मदवार आधार पर आयातित भाग 30% से कम हो :—

आयातित लागत बीमा + आयात शुल्क भाड़ा मूल्य

संभरक का जहाज पर निशुल्क मूल्य × 100"

खण्ड-3-संभरण ठेकों में समाविष्ट की जाने वाली शर्तें

3(1) संभरण ठेकों में निम्नलिखित प्रावधान विशेष रूप से समाविष्ट होने चाहिए :—

(क) ठेके की व्यवस्था भारत सरकार और जापान की विदेशी आर्थिक सहयोग निधि (आईसीएफ) के बीच दूर संचार परियोजना (2) के लिए येन क्रेडिट आईडीपी-5 (परियोजना सहायता) से सम्बन्धित 8 मई, 1980 को हुए ऋण समझौते के अनुसार होनी चाहिए और यह भारत सरकार और विदेशी आर्थिक सहयोग निधि के अनुमोदन के अधीन होगा ।

(ख) संभरकों को भुगतान भारत सरकार और जापानी विदेशी आर्थिक सहयोग निधि (आईसीएफ) के बीच येन क्रेडिट सं० आईडीपी-5 से सम्बन्धित 8 मई, 1980 को हुए ऋण समझौते के अन्तर्गत बैंक आफ इण्डिया टोकियो द्वारा जारी किए जाने वाले अपरिवर्तनीय साखपत्र के माध्यम से किए जाएंगे ।

(ग) विदेशी संभरक ऐसी सूचना और दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए सहमत होगा जो एक ओर भारत सरकार द्वारा और दूसरी ओर आईसीएफ द्वारा येन ऋण के अधीन अपेक्षित हों ।

(घ) 2(7) में उल्लिखित प्रपत्र में प्रमाण पत्र (तीन प्रतियों में)

3(2) यदि किसी मामले में संभरक जापान में स्थित हो तो संभरण संविदा के सम्बन्ध में एक धारा होनी चाहिए कि जापानी संभरक भारतीय दूतावास, टोकियो के परामर्श पर पोत परिवहन व्यवस्था करने के लिए सहमत है और इस उद्देश्य के लिए वह भारतीय दूतावास, टोकियो को, शामिल माल की सपुर्दगी के कार्यक्रम से अवगत करायेगा और पोतलदान से कम से कम 4 सप्ताह पूर्व दूतावास को सूचना देना जिसे कि उचित व्यवस्था हो सके । विशेष मामलों में, जहां भारतीय आयातक इच्छुक हो, सूचना की इस अवधि को कम किया जा सकता है । जापानी संभरक को प्रत्येक पोतलदान के पश्चात् आवश्यक ब्यौरे देते हुए तार से सूचना भेजने के लिए सहमत होना चाहिए और उसकी एक प्रति भारतीय दूतावास, टोकियो को भेजी जानी चाहिए ।

खण्ड-4—विदेशी आर्थिक सहकारिता निधि (ओ०ई०सी०एफ०) द्वारा ठेके का अनुमोदन

4(1) लाइसेंसधारी को पक्के आदेश देने के लिए निर्धारित अवधि के भीतर महानिदेशक डाक एवं तार और विदेशी सम्भरकों दोनों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित ठेके की चार प्रतियां जो विदेशी संभरक द्वारा लिखित में पुष्टि आदेश के साथ हों या उनकी हर प्रकार से पूर्ण फोटो प्रतियां, संगत वैध आयात लाइसेंस की 2 फोटो प्रतियों सहित, जापान अनुभाग, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली को भेजनी चाहिए ।

(2) उपर्युक्त कियाविधि सभी ठेकों के लिए और ठेकों की विषय-वस्तु के लिए अनिवार्य आशोधनों के कारण संशोधनों या उनकी कीमतों पर भी लागू होगी ।

(3) वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) जापान अनुभाग, तार संचार परियोजना (2) के लिए येन क्रेडिट सं० आईडीपी-5 (परियोजना

सहायता) के अन्तर्गत वित्तदान करने के लिए विदेशी आर्थिक सहकारिता निधि (आई सी एफ) की संविदा दस्तावेजों की एक प्रति उनके अनुमोदन के लिए भेजने की व्यवस्था करेगा ।

खण्ड–5—विदेशी सम्भरकों को भुगतान-साख-पत्र क्रियाविधि

5(1) विदेशी आर्थिक सहकारिता निधि (आई सी एफ) से ठेके के अनुमोदन की सूचना मिलने पर वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, जापान अनुभाग द्वारा महानिदेशक, डाक एवं तार और सहायता लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक को उसकी सूचना दे दी जाएगी । उसके बाद महानिदेशक, डाक एवं तार विभाग की सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक (जिसे इसके बाद सीएएए कहा गया है) आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, यूसीओ बैंक बिल्डिंग, संसद मार्ग नई दिल्ली को अनुबन्ध 3 के रूप में संलग्न प्रपत्र में प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए अनुरोध करना चाहिए । सीएएए खण्ड ए अनुबन्ध-4 के रूप में संलग्नक प्रपत्र में एक प्राधिकार पत्र भारतीय बैंक की टोकियो शाखा को अनुबंध-5 (वास्तविक आयातों के लिए) या अनुबंध-6 (सेवाओं के लिए) के रूप में संलग्नक प्रपत्र में सम्बन्धित विदेशी सम्भरक के नाम में अपरिवर्तनीय साखपत्र खोलने के लिए जारी करेगा । प्राधिकार पत्र की प्रतियां (विदेशी आर्थिक सहकारिता निधि) (आईसीएफ), भारतीय दूतावास टोकियो, भारत में आयातक के बैंक और जापान अनुभाग, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय को भी पृष्ठांकित की जाएंगी ।

5(2) प्राधिकार-पत्र मिलने पर, भारतीय बैंक टोकियो अनुबन्ध–5 *(वास्तविक आयातों के लिए लागू होता है) या 6 (सेवाओं के लिए लागू होता है)* के अनुसार सम्बन्धित विदेशी संभरकों के नाम में अपरिवर्तनीय साखपत्र की स्थापना करेगा और उसकी एक प्रति विदेशी आर्थिक सहकारिता निधि (आईसीएफ) भारतीय दूतावास टोकियो, भारत में आयातक के बैंक और सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक, को भी भेजेगा ।

सी ए ए ए से प्राधिकार-पत्र के आधार पर साखपत्र खोलने के लिए उपर्युक्त क्रियाविधि संविदा संशोधन या अन्यथा के लिए आवश्यक समझे जाने वाले ऐसे ही सभी प्राधिकार पत्र/साख-पत्रों के संशोधनों पर स्वतः लागू होगी ।

5(3) माल का पोत लदान करने के बाद विदेशी संभरक अपने बैंकरों के माध्यम से साखपत्र में उल्लिखित दस्तावेज भुगतान के लिए बैंक आफ इण्डिया, टोकियो को प्रस्तुत करेगा । यदि दस्तावेज सही पाए गए तो बैंक आफ इण्डिया, टोकियो दस्तावेजों में उल्लिखित धनराशि को विदेशी संभरक को उसके बैंकरों के माध्यम से रिहा करेगा और उसके बाद आयातों की लागत की धनराशि की प्रतिपूर्ति विदेशी आर्थिक सहयोग निधि से प्राप्त करेगा ।

5(4) साखपत्र खोलने, रख-रखाव और उसके प्रचालन के सारे खर्चे विदेशी संभरकों के लेखे से लिए जाएंगे । इसलिए, भारतीय बैंक, टोकियो विदेशी बैंक से इन सभी खर्चों की वसूली करेगा, सौदे से सम्बन्धित दस्तावेजों को भेजने की व्यवस्था करने के लिए खर्चे और अन्य प्रासंगिक खर्चे भी संभरक द्वारा उठाए जाएंगे ।

भारतीय बैंक, टोकियों द्वारा संभरक को माल के जहाज पर निःशुल्क मूल्य के भुगतान की तारीख और आईसीएफ द्वारा प्रतिपूर्ति की तारीख के बीच अन्तराल के लिए भारतीय बैंक 25-3-1980 को भारत सरकार (वित्त मंत्रालय) के साथ उनके द्वारा किए गए समझौते के नियम एवं शर्तों के अनुसार ब्याज की वसूली करेगा और भारतीय दूतावास टोकियो से उसकी प्रतिपूर्ति करवा लेगा । जापान में भारतीय दूतावास द्वारा इस ब्याज के भुगतान से हुए खर्चे [खण्ड 6 (4) के अनुसार] डाक एवं तार विभाग से वसूल किए जाएंगे ।

खण्ड–6—रुपया निक्षेप करने के लिए उत्तरदायित्व

6(1) भारतीय बैंक टोकियो संगत प्राधिकारपत्र के परिशिष्ट में संकलित अनुसार महानिदेशक, डाक एवं तार के प्राधिकृत बैंकर को अपक्राम्य जहाजरानी दस्तावेज भेजेगा और बैंकर इसके बदले में यह सुनिश्चय करेगा कि महानिदेशक, डाक एवं तार ने जहाजरानी दस्तावेज रिहा होने से पहले भारतीय रिजर्व बैंक, नई दिल्ली या भारतीय स्टेट बैंक, तीस हजारी, दिल्ली में रुपया निक्षेप कर दिया है । विदेशी संभरक को दिए गए येन भुगतान के समतुल्य रुपया सार्वजनिक सूचना सं०–74 आईटीसी (पीएन)/74, दिनांक 31-5-1974 में निर्धारित तरीके से भारत सरकार के लेखे में जमा किया जाएगा । विदेशी संभरक को किए गए येन भुगतान के समतुल्य रुपए की गणना करने के लिए अपनाई जाने वाली विनिमय की दर भुगतान की तारीख को लागू विनिमय की वह मिश्रित दर होगी जो सार्वजनिक सूचना सं०–109-आईटीसी (पीएन)/74, दिनांक 3-8-74 और सं० 8 आईटीसी(पीएन)/76, दिनांक 17-1-1976 में निर्धारित तरीके के अनुसार निश्चित की गई हो जो मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात की सार्वजनिक सूचनाओं के माध्यम से या भारतीय रिजर्व बैंक के मुद्रा विनिमय नियंत्रण परिपत्रों के माध्यम से सरकार समय-समय पर घोषित की गई हो । जिस लेखा शीर्ष में उपर्युक्त रुपया निक्षेप किया जाएगा वह "के डिपॉजिट्स एण्ड एडवांसिस–843 सिविल डिपोजिटस-डिपॉजिट्स फार परचेजिज एट्सट्रा एब्रोड, परचेज अण्डर क्रेडिट्स । लोन एग्रीमेण्ट लोन फ्रोम दि गवर्नमेंट आफ जापान 27 बिलियन येन क्रेडिट सं० आईईईपी-5 फार टेलिकम्यूनिकेशन प्रोजेक्ट(2)" होना चाहिए । किन्तु 31-5-1974 की उपर्युक्त सार्वजनिक सूचना में उल्लिखित ब्याज खर्चे और निक्षेप की गणना से सम्बन्धित व्यवस्थाएं लागू नहीं होंगी क्योंकि केन्द्रीय सरकार के विभागों द्वारा किए गए आयातों के सम्बन्ध में कोई भी ब्याज खर्चा वसूल नहीं किया जाता है ।

6(2) ऊपर उल्लिखित धनराशि या तो भारतीय रिजर्व बैंक, नई दिल्ली में या स्टेट बैंक आफ इण्डिया, तीस हजारी, दिल्ली में सरकार की साख में सार्वजनिक सूचना संख्या-184-आईटीसी (पीएन)/68, दिनांक 30-8-1968, सं० 233 आईटीसी (पीएन)/68, दिनांक 24-10-1968 सं० 132 आईटीसी (पीएन)/71, दिनांक 5-10-71, सं०-74 आईटीसी (पीएन)/74, दिनांक 31-5-74 और सं० 103 आईटीसी (पीएन)/76 दिनांक 12-10-76 में यथानिर्धारित तरीके में जमा होनी चाहिए ।

6(3) भारत सरकार वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग द्वारा ऐसी मांग किए जाने के बाद सात दिनों के भीतर सम्बद्ध भारतीय बैंक को ऊपर निर्धारित तरीके से वह अतिरिक्त धनराशि सेवा खर्चो के निमित्त भेजेगा जो वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) द्वारा मांगी जाए । चालान के विभिन्न कालमों को भरते समय आयातकों/उनके बैंकरों को इस बात का सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि सार्वजनिक सूचना सं० 103 आई टी सी (पीएन)/76 दिनांक 12-10-76 के साथ पढ़ी जानी वाली सार्वजनिक सूचना संख्या-132-आईटीसी(पीएन)/71, दिनांक 5-10-1971 के पैरा 2 में निर्धारित सूचना और सार्वजनिक सूचना संख्या-74-आईटीसी (पीएन)/74, दिनांक 31-5-74 में भी निर्धारित सूचना चालान के कालम "धन परेषण और प्राधिकारी (यदि कोई हो) के पूर्ण ब्यौरे" में निरपवाद रूप से निर्दिष्ट किए गए हैं । खजाना चालान में निम्नलिखित ब्यौरे निरपवाद रूप से प्रस्तुत करने चाहिए :—

(क) वित्त मंत्रालय के प्राधिकार पत्र सं० और दिनांक;

(ख) येन मुद्रा की वह धनराशि जिसके सम्बन्ध में अपनाई गई परिवर्तन की दर के साथ निक्षेप किए जाने हैं;

(ग) विदेशी संभरक का भुगतान करने की तिथि ।

उसके पश्चात् सी ए ए ए द्वारा जारी किए गए प्राधिकार पत्र का संदर्भ देते हुए और बीजक तथा पोत परिवहन दस्तावेजों को संलग्न करते हुए

खज़ाना चालान रुपया जमा करने का साक्ष्य देते हुए पंजीकृत डाक द्वारा सी० ए० ए० ए० को भेजा जाना चाहिए।

टिप्पणी :—भारत में आयातक के बैंक का यह सुनिश्चित करना चाहिए कि रुपए का निक्षेप भारतीय बैंक, टाकिया से अदायगी की सूचना और अपरिवर्तनीय पोत लदान दस्तावेजों की प्राप्ति के 10 दिनों के भीतर निरपवाद रूप से किया जाना चाहिए और यह कि इसके तत्काल बाद सी० ए० ए०, वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग), नई दिल्ली को सूचित कर दिया जाएगा।

6(4) भारत में सम्बद्ध भारतीय बैंक को लाइसेंस की मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति पर रुपया निक्षेपों की धनराशि का पृष्ठांकन करना चाहिए और यथापेक्षित 'एस' प्रपत्र भारतीय रिजर्व बैंक आफ बम्बई को भेजना चाहिए।

भारतीय दूतावास टाकिया द्वारा भारतीय बैंक, टाकिया को किए गए ब्याज आदि के आधार पर येन भुगतान के समतुल्य रुपए की गणना भी उपर्युक्त खण्ड-6 की कंडिका 6(1) में उल्लिखित तरीके से की जाएगी और उसे मद्य लेखा अधिकारी, विदेश मंत्रालय के नाम में जमा किया जाए। जिसका प्रयोजनार्थ सी० ए० ए० एण्ड ए० उचित बीजक जारी करेगा।

खण्ड 8—विविध व्यवस्थाएं

8(1) आयात लाईसेंस के उपयोग करने की रिपोर्ट

आयातक को पोत लदान और उसके अधीन किए गए भुगतान और शेष धनराशि के बारे में साख-पत्र खोलने के बाद एक मासिक रिपोर्ट सहायता लेखा एवं परीक्षा नियंत्रक आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय यू०सी०ओ० बैंक बिल्डिंग संसद मार्ग, नई दिल्ली को भेजनी चाहिए।

8(2) सम्भरकों को विशेष शर्तों के बारे में अधिसूचित करना

लाइसेंसधारी को आयात लाइसेंस में दिए गए किसी उन विशेष उपबन्धों से सम्भरक को अवगत करा देना चाहिए जो माल के लाने ले जाने में सम्भरक पर प्रभाव डालती हों।

8(3) विवाद

यह समझ लेना चाहिए कि लाइसेंस और सम्भरकों के बीच कोई विवाद उठेगा तो उसके लिए भारत सरकार कोई उत्तरदायित्व नहीं लेगी। भारतीय बैंक टाकिया द्वारा किए गए भुगतान में पहले सम्भरक द्वारा पूरी की जाने वाली शर्तें अनुबन्ध 3 में "भुगतान की शर्तें" के अन्तर्गत अच्छी तरह स्पष्ट कर देना चाहिए। संविदा की शर्तों में विवाद के निपटान से सम्बद्ध व्यवस्थाएं शामिल होनी चाहिए।

8(4) भविष्य अनुदेश

आयात लाइसेंस या उसके सम्बन्ध में उठ खड़े होने वाले किसी मामले या सभी मामलों से सम्बन्धित या जापानी प्राधिकारियों के साथ येन क्रेडिट समझौते (पण्यवस्तु सहायता) के अधीन सभी आभारों को पूर्ण करने के लिए भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निदेशों अनुदेशों या आदेशों का लाइसेंसधारी को तुरन्त पालन करना होगा।

8(5) अतिक्रमण व उल्लंघन

उपर्युक्त खण्डों में स्थिर की गई शर्तों के अतिक्रमण या उल्लंघन करने पर आयात निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम के अधीन उचित कार्यवाई की जाएगी।

8(6) अनुबन्धों की सूची

1	अनुबन्ध 1	पात्र स्रोत देशों की सूची
2	अनुबन्ध 2	अधिप्राप्ति के लिए मुख्य मार्गदर्शन
3	अनुबन्ध 3	प्राधिकार-पत्र जारी करने के लिए अनुरोध
4	अनुबन्ध 4	प्राधिकार-पत्र का प्रपत्र
5	अनुबन्ध 5	साख-पत्र का प्रपत्र (वास्तविक आयाता के लिए लागू)
6	अनुबन्ध 6	साख-पत्र का प्रपत्र (सेवाओं के लिए लागू)

अनुबन्ध 1

पात्र स्रोत देशों की सूचि

(क) विकासशील देश तथा उनके क्षेत्र

(क-1) ओ पी ई सी से भिन्न विकासशील देश

(ख) विकासशील देश तथा उसके क्षेत्र

(ख-1) माल-ओ०पी०ई०सी० विकासशील देश

1 अफ्रीका, उत्तरी सहारा
- मिस्र
- मोरोको
- तुनीशिया

2 अफ्रीका, दक्षिणी सहारा
- अंगोला
- बोत्सवाना
- बुरुन्डी
- कैमेरून
- केप वर्डी द्वीपसमूह
- केन्द्रीय अफ्रीका गणतन्त्र
- चाड
- कमोरो द्वीपसमूह
- इथियोपिया
- जाम्बिया
- घाना
- गिनी
- आइवरी कोस्ट
- कीनिया
- लिसोथो
- लाइबेरिया
- मालागासी गणतन्त्र
- मलावी
- माली
- मारितानिया मारीशस
- मुजाम्बीक
- नाइगरा
- पुर्तगाली गिना
- रियुनियन
- रोडेशिया
- रवान्दा
- सेंट हेलिना और डेप (2)
- साओटोम और प्रिन्साइप
- सेनेगाल
- सेशिलिस
- सियरा लिओन

सोमालिया
सूडान
स्वाजीलैंड
टेरी आफर्स और इस्सास
टोगो
युगान्डा
तंजानिया गणतंत्र संघ
अपर वोल्टा
जाइरे गणतंत्र
जाम्बिया

3. अफ्रीका उत्तरी और केन्द्रीय

बेहमस
बारबोडोज
बेलाइज
बरमुडा
कोस्टारिका
क्यूबा
डोमिनिकन गणतंत्र
एल साल्वेडोर
गुआडेलोप
ग्वाटेमाला
हेती
होन्डूरस
जेमैका
मार्टिनिक
मैक्सिको
नीदरलैंडस एनटिलीज
निकारागुआ
पनामा
सेन्ट पियरी और मिकेलोन
ट्रिनिडाड और टोबैगो
वेस्ट इण्डीज (शाखा) एस०आई०ई०
(क) सम्बन्धित राज्य (1)
(ख) आश्रित (2)

(1) पहले स्पेनी गिनी के प्रदेश, फरनेन्डो पो द्वीप समूहित
(2) निम्नलिखित द्वीपों सहित :—
अंसेन्शन, ट्रिस्टन डा क्न एक्सोसिविल्स, नाइटिन्गेल गण।
(3) मुख्य द्वीप समूह, अरबी, बोनाहरे क्यूराकाओ साहा, सेन्ट मारटिन (दक्षिण भाग)

4. दक्षिणी अमरीका

अर्जेन्टीना
बोलिविया
ब्राजील
चिली
कोलम्बिया
फाल्कलैंड द्वीप समूह
फ्रांसिसी गिनी
गुयाना
पाराग्वे
पीरु
सूरिनाम
उरुग्वे

5. मध्य पूर्वी एशिया

बेहरीन
इजराइल
जोर्डन
लेबनान
ओमन
सिरिआई अरब गणतंत्र
यूनाइटिड अरब अमिरात
यमन अरब गणतंत्र (3)
यमन जनवादी डी०आर० (4)

6. दक्षिणी एशिया

अफगानिस्तान
बांगला देश
भूटान
बर्मा
भारत
मालद्वीप
नेपाल
पाकिस्तान
श्रीलंका

7. सुदूर पूर्वी एशिया

ब्रूनेई
हांगकांग
खमेर गणतंत्र
कोरिया गणतंत्र
लाओस
मकाओ
मलेशिया
फिलिपाइन
सिंगापुर
ताइवान
थाइलैंड
तिमोर
वियतनाम गणतंत्र
वियतनाम जनवादी गणतंत्र

8. ओसिनिया

कोक द्वीप समूह
फिजी
गिल्बर्ट और इलाइस द्वीप
फ्रांसिसी पोलिनेशिया (5)
नोरु
न्यू कालेडोनिया
न्यू हेब्रिडेस (ब्रि और फ्रे)
निए
पैसिफिक द्वीप समूह (संयुक्त राज्य (6)
पापुआ न्यू गिनी
सोलामन द्वीप समूह (ब्रि)
टोंगो
वालिस और फुतुना
पश्चिमी सामओ

9. यूरोप

साइप्रस
जिब्राल्टर

ग्रीक
माल्टा
स्पेन
तुर्की
युगोस्लाविया

(1) मुख्य द्वीप एन्टिगुआ, डोमिनिका, ग्रेनेडा, सेन्ट किट्स (सेन्ट क्रिस्टोफी) नेविस अगुइला, सेन्टलुसिया और सेन्ट विन्सेन्ट

(2) मुख्य द्वीप : मोन्सेरात, केमान, तर्क और काइकोस और ब्रिटिश वरजिन द्वीप समूह

(3) अजमान, दुबाल, फुजाइरह, रास अल खेमाह शारजाह और उम अल क्वैन

(4) अदन और विभिन्न सुल्तान और अमीरात सहित।

(5) सोसायटी द्वीप समूह (ताहिती सहित) को शामिल करते हुए, आस्ट्रल द्वीप समूह, टुआमोट, गाम्बियर ग्रुप और मार्केसस द्वीप समूह।

(6) पैसिफिक द्वीप समूह का ट्रस्ट प्रदेश : कारोलीन द्वीप समूह, मार्शल द्वीप समूह और मेरिना द्वीप समूह (गाम को छोड़कर)

(क2) ओ॰ पी॰ ई॰ सी॰ के सदस्य या सहयोगी देश

अल्जीरिया
बोलिविया
लीबियाई अरब गणतंत्र
गेबान
नाइजीरिया
इक्वेडोर
वेन्जुएला
ईरान
ईराक
कुवैत
कातार
सउदी अरब
अबुधाबी
इन्डोनेशिया

अनुबन्ध-2

ऋण के अधीन अधिप्राप्ति के लिए मार्ग दर्शन
विषय सूची की तालिका

अनुच्छेद संख्या	शीर्षक
अनुच्छेद 1	सामान्य
खण्ड 1.01	प्रस्तावना
खण्ड 1.02	औपचारिक खुले अन्तर्राष्ट्रीय निविदा करने से भिन्न क्रियाविधि
खण्ड 1.03	संविदाओं की किस्म और आकार
अनुच्छेद 2	विज्ञापन और इससे पूर्व की शर्तें
खण्ड 2.01	विज्ञापन
खण्ड 2.02	बोली लगने से पूर्व की शर्तें
अनुच्छेद 3	बोली लगाने वाले दस्तावेज
खण्ड 3.01	निधि के लिए सन्दर्भ
खण्ड 3.02	बोली बाण्ड अथवा गारन्टियां
खण्ड 3.03	संविदा की शर्तें
खण्ड 3.04	विशिष्टिकरणों का स्पष्टीकरण
खण्ड 3.05	मापदण्ड
खण्ड 3.06	ब्राण्ड नामों का उपयोग
खण्ड 3.07	संविदाओं के अन्तर्गत व्यय
खण्ड 3.08	बोलियों का मूल्य
खण्ड 3.09	संविदा मूल्य
खण्ड 3.10	मूल्य समंजन धाराएं
खण्ड 3.11	अग्रिम भुगतान
खण्ड 3.12	गारन्टियां निष्पादन बांड और रोक रखा गया धन
खण्ड 3.13	बीमा
खण्ड 3.14	चुकाई गई क्षति और बोनस धाराएं
खण्ड 3.15	बाध्यकर स्थितियां (फोर्स मेज्यूर)
खण्ड 3.16	भाषा की व्याख्या
खण्ड 3.17	विवादों का निपटारा
अनुच्छेद 4	बोली खोलना, मूल्यांकन और संविदा प्रदान करना
खण्ड 4.01	बोली आमंत्रित करने और बोली लगाने के बीच का समय
खण्ड 4.02	बोली खोलने की क्रियाविधि
खण्ड 4.03	बोलियों का स्पष्टीकरण या परिवर्तन
खण्ड 4.04	क्रियाविधि गोपनीय रखना
खण्ड 4.05	बोलियों का परीक्षण
खण्ड 4.06	बोलियों के पूर्व की शर्तें
खण्ड 4.07	बोलियों का मूल्यांकन तथा तुलना
खण्ड 4.08	बोलियों को रद्द करना
खण्ड 4.09	संविदा प्रदान करना
अनुच्छेद 5	सलाहकारों के उपयोग के लिए मार्ग दर्शन
खण्ड 5.01	सलाहकारों की स्वतन्त्रता
खण्ड 5.02	सलाहकारों का चयन

संलग्न वस्तु :—पात्र स्रोत देश

ऋण के अन्तर्गत माल प्राप्त करने के लिए मार्ग दर्शन

अनुच्छेद-1

सामान्य

खण्ड 1.01 प्रस्तावना

(क) ये निर्देशन विशेषु उन नियमों को बताते हैं जो कि विदेशी आर्थिक सहयोग निधि (इसके बाद "निधि" कहलाए) उस परियोजना के विकास के लिए माल और सेवाओं की अधिप्राप्ति के लिए सामान्यतः लागू करती है जिसके लिए निधि अपने ऋण द्वारा पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से वित्त प्रदान करती है।

(ख) निधि के ऋण की रकम की मितव्ययता, दक्षता और उन देशों के बीच बिना भेदभाव की भावना को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए उपयोग करना होगा जो कि उपर्युक्त माल और सेवाओं की अधिप्राप्ति के लिए पात्र है (ऐसे देश इसके पश्चात् "पात्र स्रोत देशों" के नाम से पुकारे गए हैं)। निधि यह विचार रखती है कि बहुत से मामलों में औपचारिक खुला अन्तर्राष्ट्रीय निविदा, परियोजना विकास के लिए माल और सेवाओं का आर्थिक और दक्षतापूर्ण अधिप्राप्ति के लिए सबसे श्रेष्ठ साधन है। अतः निधि अपने ऋणी से साधारणतः अपेक्षा करता है कि वह औपचारिक खुली अन्तर्राष्ट्रीय निविदा के माध्यम से माल तथा सेवाओं को प्राप्त करे।

(ग) निधि द्वारा वित्त प्रदान की गई किसी विशेष परियोजना लिए इन निर्देशन बिन्दुओं का लागू होना, बोली लगाने के दस्तावेज और अधिप्राप्ति की क्रियाविधियां जिस सीमा तक निधि द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए पुनरीक्षा के अधीन है कि वे इन निर्देशन बिन्दुओं के अनुरूप है पात्र स्रोत देश और अपात्र स्रोत देशों में अनुमेय प्रायतों के लिए प्रावधान उस परियोजना के लिए निधि द्वारा प्रदान किए गए ऋण के संविदा सम्बन्धी दस्तावेजों में निर्धारित किए जाएंगे।

(घ) किसी भी परियोजना पर माल और सेवाओं की अधिप्राप्ति के लिए अन्तिम उत्तरदायित्व परियोजना के स्वामी पर होता है। चूंकि स्वामी प्रायः ऋणी भी होता है इसलिए इन मार्ग निर्देशन बिन्दुओं में ऋणी शब्द का प्रयोग मालिक के लिए भी किया गया है। परियोजना के लिए प्रदान किए जाने वाले माल और सेवाओं के लिए बोली लगाने वालों के विषय में ऋणी के अधिकार और दायित्व ऋणी द्वारा जारी किए गए बोली दस्तावेजों द्वारा शासित किए जाते हैं इन मार्ग निर्देशन बिन्दुओं द्वारा नहीं, ये निर्देशन बिन्दु केवल ऋणी और निधि के बीच क्या सम्बन्ध हैं इससे सम्बन्धित है।

खण्ड 1.02 औपचारिक खुली अन्तर्राष्ट्रीय निविदा से भिन्न क्रियाविधियाँ

कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियां हो सकती है जिनमें औपचारिक खुली अन्तर्राष्ट्रीय निविदा उचित न ठहरे और निम्नलिखित मामलों में निधि अन्य दूसरे तरीके अपनाए :—

(क) जिन मामले में ऋणी के पास अपने उपस्कर का एक उचित मानकीकरण कायम रखने के लिए विश्वसनीय कारण हो,

(ख) जिस मामले में पात्र सम्भरकों की संख्या सीमित हो जैसे विद्यमान उपस्कर के लिए फालतू पुर्जों की सप्लाई,

(ग) जिस मामले में अधिप्राप्ति के लिए लगी हुई धनराशि इतनी कम हो कि विदेशी पार्टियां स्पष्ट रूप से इच्छुक न हों या यह कि अन्तर्ग्रस्त भार प्रशासकीय भार औपचारिक खुली अन्तर्राष्ट्रीय निविदा के लाभ से महत्वपूर्ण हो।

(घ) जिस मामले में उपर्युक्त (क), (ख) और (ग) के अतिरिक्त निधि औपचारिक खुली अन्तर्राष्ट्रीय निविदा की क्रियाविधियों का लागू करना अनुचित समझता है या निधि ऐसी क्रियाविधि को अनुपयुक्त समझता है उदाहरणार्थ आपातकालीन अधिप्राप्ति के मामले में। ऊपर उल्लिखित मामलों में निम्नलिखित माल प्राप्ति का फार्मूला इस प्रकार लागू किया जाए कि वह औपचारिक खुली अन्तर्राष्ट्रीय निविदा क्रियाविधि का पूर्ण सम्भव सीमा तक यथा उपयुक्त पालन करे।

(1) औपचारिक चुनिन्दा अन्तर्राष्ट्रीय निविदा

(2) अनौपचारिक अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगात्मक अधिप्राप्ति

(3) एक ही सम्भरक से सीधे ही खरीद।

खण्ड 1.03 संविदाओं की किस्म और आकार

संविदाएं निष्पादित काम के लिए इकाई मूल्य के या आवेदित मदों के या एकमुश्त कीमतों के या संविदा के विभिन्न भागों के लिए दोनों के समन्वय के आधार पर, प्रदान किए जाने वाले माल या सेवाओं के स्वरूप के अनुसार की जा सकती है और बोली लगाने वाले दस्तावेजों में चुनी गई संविदा की किस्म की स्पष्ट व्याख्या होनी चाहिए। वास्तविक मूल्य की प्रतिपूर्ति पर मुख्यतः आधारित संविदाएं विशेष परिस्थितियों को छोड़कर निधि को स्वीकार्य नहीं है।

विस्तृत प्रतियोगिता को बढ़ावा देने के लिए, अलग अलग संविदाये जिनके लिए बोलियां आमंत्रित की जाती हैं, जब भी सुविधाजनक हो इतने बड़े आकार की होनी चाहिए कि अन्तर्राष्ट्रीय आधार पर बोलियां आकर्षित कर सकें। दूसरी ओर, यदि तकनीकी और प्रशासकीय रूप में किसी परियोजना को विशिष्ट प्रकार की संविदाओं में विभक्त करना सम्भव है और इस प्रकार किया हुआ विभाजन लाभकारी होने की सम्भावना है तो विस्तृत रूप से औपचारिक खुली अन्तर्राष्ट्रीय निविदा की अनुमति प्रदान करने के लिए परियोजना इस प्रकार विभाजित की जाएगी। इंजीनियरिंग उपस्कर और निर्माण के लिए इसी पार्टी द्वारा प्रदान की जाने वाली संविदाएं (टर्न की संविदाएं) यदि देश के लिए तकनीकी और आर्थिक लाभप्रद प्रमाणित करें तो वे स्वीकार्य है।

अनुच्छेद-2

विज्ञापन और पूर्व अर्हताएं

खण्ड 2.01 विज्ञापन

औपचारिक खुली अन्तर्राष्ट्रीय निविदा के अधीन सभी संविदाएं बोली आमंत्रित करने के लिए ऋणी देश में सामान्य प्रचार के लिए कम से कम एक समाचार पत्र में विज्ञापित होनी चाहिए। विज्ञापन के बोली आमंत्रित करने की प्रतियां पात्र स्रोत देशों के स्थानीय प्रतिनिधियों को भी तुरन्त प्रेषित की जानी चाहिए।

खण्ड 2.02 बोली लगाने वालों की पूर्व अर्हताएं

जिस मामले में निधि बोली लगाने वालों की पूर्व अर्हताओं को आवश्यक समझती है, उसमें निधि बोली लगाने से पूर्व की शर्तों को मान्यता प्रदान कर सकता है। यह निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए।

(1) प्रत्येक पार्टी का समान कार्य में अनुभव और भूतकालीन निष्पादन,

(2) कर्मचारीगण, उपस्कर और संयंत्र के सम्बन्ध में उसकी सामर्थ्य और

(3) उसकी आर्थिक स्थिति।

पात्र समझे जाने के लिए इच्छा रखने वाले संविदाकारों को संक्षिप्त विशिष्टिकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। यदि पूर्व अर्हताएं प्रयोग की गई हों तो उन सभी पार्टियों को बोली लगाने की अनुमति दी जाएगी जो पात्र पाई गई हैं।

अनुच्छेद-3

बोली के दस्तावेज

खण्ड 3.01 निधि का सन्दर्भ

बोली लगाने वाले दस्तावेज निम्नलिखित भाषा में होने चाहिए :—

"... .... (ऋणी का नाम)

विदेशी आर्थिक सहयोग निधि से एक ऋण ... ...येन से ....(परियोजना का नाम) की कीमत के मद्दे में प्राप्त किया है (अथवा उपयुक्त मामलों में "आवेदन किया है)।"

खण्ड 3.02 बोली बाण्ड और गारन्टियां

बोली बाण्ड या बोली की गारन्टियां साधारण आवश्यकताएं है लेकिन इनको इतना कठिन नहीं बनाना चाहिए जिससे कि उचित बोलीकार हतोत्साह हो जाए। बोली खुलने के पश्चात् जैसे ही सम्भव हो बोली बाण्ड अथवा गारन्टियां असफल बोलीकारों को रिहा कर देनी चाहिए।

खण्ड 3.03 संविदा की शर्तें

संविदा के प्रशासन और उसके अधीन किए गए किन्हीं परिवर्तनों में दो संविदा की शर्तों में ऋणी और ठेकेदार या सम्भरक के अधिकार

और दायित्व और यदि ऋणी द्वारा कोई इंजीनियर नियुक्त किया गया है तो उसके अधिकार और प्राधिकार स्पष्ट रूप से परिभाषित होने चाहिए। संविदा की परम्परागत सामान्य शर्तों, जिनमें से कुछ का उल्लेख इन निर्देशन बिन्दुओं में किया गया है के अतिरिक्त परियोजना के स्वरूप और स्थिति के लिए उपयुक्त विशेष शर्तों को भी शामिल करना चाहिए।

खण्ड 3.04 विशिष्टिकरणों की स्पष्टता

जहां तक सम्भव हो पूर्ण किए जाने वाले कार्य, सम्भरित किए जाने वाले माल और सेवाओं और सुपुर्दगी या संस्थापन के स्थान को विशिष्टिकरणों में स्पष्ट और यथार्थ रूप से घोषित करना चाहिए। आलेख विशिष्टिकरणों के मूल विषय के अनुसार होने चाहिए, जहां पर ऐसा नहीं होगा वहां पर मूल विषय ही प्रधान रहेगा। विशिष्टिकरण में उन मुख्य तत्वों या आधारों की पहचान होनी चाहिए जिनको बोलियों का मूल्यांकन करते समय और उनकी तुलना करते समय ध्यान में रखा जाएगा इसके अतिरिक्त कोई अन्य सूचना, स्पष्टीकरण, विशिष्टिकरणों में हुई गलतियों को ठीक करना अथवा उनमें परिवर्तन करने के सम्बन्ध में उन सभी को तुरन्त सूचना भेजी जाएगी जिन्होंने मूल बोली दस्तावेजों के लिए आवेदन किया है। बोली के आमंत्रण में पात्र स्रोत देश निर्दिष्ट होने चाहिए और अपात्र स्रोत देशों से अनुमेय आयातों के लिए यदि कोई प्रावधान हो तो वह भी निर्दिष्ट होना चाहिए। जिन मामलों में निधि औपचारिक खुली अन्तर्राष्ट्रीय निविदा (देखिये खण्ड 1.02) से भिन्न किन्हीं कार्यविधियों के लिए सहमत हो गई है उनको छोड़कर विशिष्टिकरण का इसमें इस प्रकार उल्लेख होना चाहिए जिससे अधिक से अधिक अन्तर्राष्ट्रीय बोली लगाने वालों को अनुमति और प्रोत्साहन मिले।

खण्ड 3.05 मानदण्ड

यदि उन राष्ट्रीय मापदण्डों का उल्लेख किया जाता है जिनके अनुसार ही उपकरण या माल है तो विशिष्टिकरण में यह दर्शाया जाना चाहिए कि जापान औद्योगिक मापदण्ड या अन्य स्वीकार किए गए अन्तर्राष्ट्रीय मापदण्ड को पूरा करने वाली पण्य वस्तुएं जो मापदण्डों की कोटि के बराबर या इससे अधिक मापदण्ड का सुनिश्चय करती हैं उन्हें भी स्वीकार कर लिया जाएगा।

खण्ड 3.06 ब्राण्ड नामों का प्रयोग

यदि विशेष प्रकार के फालतू पुर्जों की आवश्यकता है या यह निश्चय किया गया है कि कुछ खास आवश्यक विशेषताओं को बनाए रखने के लिए मानकीकरण की एक डिग्री की आवश्यकता है तो विशिष्टिकरण निष्पादन क्षमता पर आधारित होने चाहिए और उन्हें एक केवल ब्राण्ड नाम, सूची संख्या या विशेष विनिर्माता के उत्पादों को निर्धारित करना चाहिए। बाद वाले मामले में विशिष्टिकरण को उन विकल्पों पण्यवस्तुओं के प्रस्तावों की अनुमति देनी चाहिए जिनकी विशेषता मिलती-जुलती है और कम से कम उन विशिष्टिकृत के बराबर निष्पादन और गुण उनमें हैं।

खण्ड 3.07 संविदाओं के अन्तर्गत खर्च

चूंकि निधि के ऋण का उपयोग पात्र स्रोत देशों के क्षेत्र में उत्पादित माल के लिए अपात्र स्रोत देशों से अनुमति आयात के लिए और पात्र स्रोत देशों से भेजी गई सेवाओं के लिए किए जाने वाले व्यय में वित्तदान करने तक ही सीमित है इसलिए संविदा के अन्तर्गत बोली दस्तावेजों में ठेकेदार अथवा सम्भरक को अपने व्यय तदनुसार सीमित रखने चाहिए या अपने विवरण-पत्रों या बीजकों में अपात्र स्रोत देशों में किए गए खर्चों का बोध कराना चाहिए। जिन माल और सेवाओं के लिए निधि वित्तदान करती है उनके भौगोलिक मूल उद्गम और उनके प्रमुख संघटकों से सम्बन्धित सूचना की आवश्यकता निधि की सांख्यिकीय उद्देश्यों के लिए होती है ठेकेदार अथवा सम्भरकों को बोली दस्तावेजों में आवश्यक सूचना भेजनी चाहिए।

खण्ड 3.08 बोलियों की कीमत लगाना

चूंकि निधि ऋण जापान येन में वर्गीकृत किया गया है, बोली का मूल्य जापान येन में दर्शाया जाना चाहिए लेकिन बोली मूल्य का वह भाग जिसको बोली लगाने वाला ऋणी के देश में खर्च करना चाहता है उसका वर्णन ऋणी की मुद्रा में किया जाना चाहिए।

खण्ड 3.09 संविदा की कीमत

संविदा कीमत जापान येन में दर्शाई जानी चाहिए बशर्ते कि संविदा कीमत का वह भाग जो ठेकेदार ऋणी के देश में खर्च करेगा ऋणी की मुद्रा में दर्शाया जाना चाहिए।

खण्ड 3.10 मूल्य समंजन कण्डिकाएं

बोली दस्तावेज में यह स्पष्ट विवरण होना चाहिए कि पक्की कीमतों की आवश्यकता है अथवा बोली की कीमतों में वृद्धि स्वीकार्य है। यदि संविदा के प्रमुख लागत अवयवों अर्थात् श्रम और महत्वपूर्ण सामग्री की कीमतों में कोई परिवर्तन होता तो उपयुक्त मामलों में संविदा की कीमतों में समंजन (उतार-चढ़ाव) के लिए व्यवस्था होनी चाहिए।

कीमतों के समंजन के लिए विशिष्ट सूत्र बोली दस्तावेजों में साफ-साफ परिभाषित होना चाहिए ताकि वही प्रावधान सभी बोलियों में लागू किया जा सके माल की सप्लाई के लिए संविदाओं में कीमतों के समंजन की उच्चतम निर्धारित सीमा को भी शामिल किया जाना चाहिए लेकिन सिविल कार्यों के लिए संविदाओं में इस प्रकार की उच्चतम निर्धारित सीमा को प्राय. शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

एक वर्ष के अन्दर सुपुर्द किए जाने वाले माल के लिए मूल्य समंजन की व्यवस्था प्राय: नहीं होनी चाहिए। ये मार्ग-निर्देशन बिन्दु उन विभिन्न उपायों के परिचय का आभास नहीं कराती हैं जिनके द्वारा संविदा मूल्य समंजित किया जा सके।

खण्ड 3.11 अग्रिम भुगतान

खर्चा चलाने के लिए संविदा के सम्पादन पर अग्रिम रूप से किए गए कुल भुगतान का प्रतिशत उचित होना चाहिए। अन्य दिए जाने वाले अग्रिम धन जिसे काम में आने वाले माल की साईट पर सुपुर्दगी के लिए भी बोली दस्तावेजों से स्पष्ट रूप से वर्णन किया जाना चाहिए।

खण्ड 3.12 गारन्टी, निष्पादन बांड और रोकी रखी गई धनराशि

नागरिक कार्य के लिए बोली दस्तावेज में गारन्टी के लिए कुछ जमानत के रूप में होना चाहिए जिससे कि जब तक यह पूरा न हो जाए तब तक काम जारी रहेगा। यह जमानत या तो बैंक गारन्टी द्वारा अथवा निष्पादन बांड द्वारा दी जा सकती है इसकी धनराशि कार्य की किस्म और परिमाण के अनुसार भिन्न-भिन्न होगी, लेकिन ठेकेदार में कमी पाए जाने के मामले में ऋणी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। उचित जमानती अवधि को पूरा करने के लिए संविदा के पूर्ण होने के बाद भी इसमें पर्याप्त रूप से समय में वृद्धि की जानी चाहिए। गारन्टी या अपेक्षित बांड की धनराशि को बोली दस्तावेजों में निरूपित किया जाना चाहिए।

माल की सप्लाई के लिए संविदाओं में आम तौर पर यह वांछनीय होगा कि बैंक गारन्टी अथवा बांड की अपेक्षा गारन्टी निष्पादन के लिए रोक रखी गई धनराशि का ही कुल भुगतान का प्रतिशत माना जाए। रोकी रखी गई धनराशि को कुल भुगतान की दर मानना और इसके अन्तिम भुगतान के लिए शर्तें बोली दस्तावेज में निर्दिष्ट होनी चाहिए। लेकिन, यदि बैंक गारन्टी अथवा बांड चुना जाता है तो यह केवल नाममात्र धनराशि के लिए ही होना चाहिए।

खण्ड 3.13 बीमा

सफल बोलीकार द्वारा दी जाने वाली बीमे की किस्मों का बोली दस्तावेजों में संक्षेप में वर्णन होना चाहिए।

खण्ड 3 14 चुकाई जाने वाली क्षति और बोनस प्रावधान

ऋणी को जब कार्य पूर्ण होने या सुपुर्दगी मे देर होने के कारण फालतू खर्चा, राजस्व की हानि या अन्य लाभो मे नुकसान होता है तो बोली दस्तावेजो मे चुकाई जाने वाली क्षति से सम्बद्ध प्रावधान शामिल होना चाहिए । ठेकेदार द्वारा सविदा मे निर्दिष्ट समय पर अथवा उससे पहले नागरिक निर्माण कार्य पूरा करने के लिए और जबकि समय से पूर्व पूर्ण किया गया कार्य ऋणी को लाभकारी हो तो ठेकेदार को बोनस देने की भी व्यवस्था की जाए ।

खण्ड 3 15 बाध्यकारी परिस्थिति

बोली दस्तावेजो मे शामिल की गई सविदा की शर्तों मे जब उचित हो तो इसे अनुबन्धित करते हुए इस सम्बन्ध मे वाक्याश होने चाहिए कि सविदा के अन्तर्गत पार्टी द्वारा अपने दायित्वो को पूरा न करना उस हालत मे एक चूक नही माना जाएगा यदि ऐसी चूक विवश स्थितियो (फोर्स मेज्योर) के फलस्वरूप हुई है (सविदा की शर्तों मे इसकी परिभाषा दी जानी है ।)

खण्ड 3 16 भाषा की व्याख्या

बोली दस्तावेज अग्रेजी मे तैयार किए जाने चाहिए । यदि बोली दस्तावेजो मे भाषा इस्तेमाल मे लायी जाए तो ऐसे दस्तावेजो के साथ अग्रेजी भी होनी चाहिए और इस बात का भी उल्लेख किया जाए कि कौन-सी भाषा प्रमुख है ।

खण्ड 3 17 झगड़ों का निपटान

झगडो के निपटान से सम्बन्धित व्यवस्थाए सविदा की शर्तों मे शामिल की जानी चाहिए । यह वाछनीय है कि व्यवस्थाए अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्य मण्डल द्वारा बनाए गए "समझौते और मध्यस्थ निर्णय के नियमो" पर आधारित होने चाहिए ।

अनुच्छेद IV

बोली खोलना, मूल्यांकन और ठेका देना

खण्ड 4 01 बोलियों के आमत्रण और प्रस्तुत करने के बीच का समय

बोली तैयार करने के लिए अनुमित समय अधिकतर सविदा की महत्वता और पेचीदगी पर निर्भर करेगा । साधारणत अन्तर्राष्ट्रीय बोली के लिए कम से कम 45 दिन की स्वीकृति दी जानी चाहिए । जहा पर नागरिक निर्माण कार्य अधिक है, वहा पर प्रत्याशित बोलीकारो का अपनी बोलिया प्रस्तुत करने से पहले स्थान पर भली भाति देखभाल करने के लिए आमतौर पर कम से कम 90 दिन दिए जाने चाहिए । किन्तु अनुमित समय प्रत्येक परियोजना से सम्बन्धित परिस्थितियो को ध्यान मे रखते हुए होना चाहिए ।

खण्ड 4 02 बोली खोलने की क्रियाविधि

बोलियो की अन्तिम पावती के लिए और बोली खोलने के लिए तिथि, समय और स्थान की बोली आमत्रण मे घोषित किया जाना चाहिए और सभी बोलिया निर्धारित समय पर खुले आम खोलनी चाहिए । इस समय के बाद प्राप्त हुई बोलियो का बिना खोले ही लौटा देना चाहिए । यदि उन्होने अनुरोध किया है या उन्हे अनुमति दे दी गई है तो बोलीकार का नाम और प्रत्येक बोली का और किसी वैकल्पिक बोलियो की कुल धनराशि जोर से पढी जानी चाहिए और उसको रिकार्ड कर लेना चाहिए ।

खण्ड 4 04 बोलियो का स्पष्टीकरण या उनमें परिवर्तन

बोली खुलने के पश्चात् किसी भी बोली बोलने वाले को उसकी बोली मे परिवर्तन करने की अनुमति नही दी जानी चाहिए । केवल स्पष्टीकरणो को ही स्वीकार किया जाए जिससे बोली के मूल तत्व पर कोई प्रभाव न पड़े । ऋणी किसी भी बोली बोलने वाले से अपनी बोली के विषय मे स्पष्टीकरण के लिए कह सकता है लेकिन बोलीकार को उनकी बोली के वास्तविक एव सत्य परिवर्तन के विषय मे नहीं कहना चाहिए ।

खण्ड 4 04 गुप्त रखी जाने वाली क्रियाविधि

कानून द्वारा यथा अपेक्षित को छोडकर बोली के खुलने के बाद बोली से सम्बन्धित निरीक्षण, स्पष्टीकरण एव मूल्याकन और निर्णय से सम्बन्धित सिफारिशो के बारे मे भी उस व्यक्ति को जो इन क्रियाविधियो से औपचारिक रूप से सम्बन्धित नही है तब तक नही बताया जाना चाहिए जब तक कि सफल बोलीकार के लिए सविदा के निर्णय को घोषित नही कर दिया जाता है ।

खण्ड 4 05 बोलियो की जाँच

बोलियो के खुलने के बाद इसका सुनिश्चय कर लेना चाहिए कि क्या कोई बोलियो के परिकलन मे विषय सम्बन्धी गलती तो नही लिख दी गई हैं, क्या बोली दस्तावेज बिल्कुल बोलियो के अनुसार है, क्या आवश्यक जमानतो की व्यवस्था कर दी गई है, क्या दस्तावेज विधिवत हस्ताक्षरित हैं और क्या बोलिया सामान्यत अन्यथा रूप से सही हैं ? यदि बोलिया मूल रूप मे विशिष्टिकरण के अनुसार नही है या उसमे अस्वीकृत शर्ते है या अन्यथा मूल रूप से बोली सम्बन्धी दस्तावेजो के अनुसार नही है तो उन्हे अस्वीकृत किया जाना चाहिए । इसके बाद प्रत्येक बोली के मूल्याकन के लिए और बोलियो के मिलान के लिए तकनीकी विश्लेषण किया जाना चाहिए ।

खण्ड 4 06 बोलिकारो की पूर्व योग्यताए

पूर्व योग्यताओ की अनुपस्थिति मे आयातक को चाहिए कि वह इस बात का सुनिश्चय करे कि उस बोलीकार के पास सबद्ध सविदा को प्रभावी रूप से चलाने के लिए क्षमता है और धन है जिसकी बोली का काम कम से कम मूल्याकन किया गया है। यदि बोलीकार इन योग्यताओ को पूरा नही करता तो उसकी बोली को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए।

खण्ड 4 07 बोलियों का मूल्यांकन और मिलान

बोलिया का मूल्याकन बोली दस्तावेजों में निर्धारित नियमो एव शर्तो के अनुसार होना चाहिए। अगणितीय गलतियो के लिए समजित बोली की कीमत के अतिरिक्त अन्य बातो जैसे निर्माण कार्य के पूर्ण होने का समय, उपकरण की कार्यकुशलता एव क्षमता या फालतू पुर्जों की उपलब्धता और प्रस्तावित निर्माण कार्य तरीका की विश्वसनीयता को विचार मे लिया जाना चाहिए। जहा तक सभव हो ये बाते बोली दस्तावेजो मे विशिष्टिकृत मानदड के अनुसार रुपए पैसे की शर्तो मे व्यक्त की जानी चाहिए। यदि कोई हो तो बोली मे शामिल की गई समजन कीमत के लिए वृद्धि की धनराशि विचार मे नही ली जानी चाहिए।

प्रत्येक बोली मे मुद्रा अथवा मुद्राए जिनमे मूल्य आका जाता है बोली स्वीकृत होने पर ऋणी द्वारा भुगतान किया जाएगा और सभी बोलियो की तुलना ऋणी द्वारा चुनी गई एक ही मुद्रा मे मूल्याकित होना चाहिए और इसका उल्लेख बोली दस्तावेजो मे भी होना चाहिए। ऐसे मूल्याकन मे उपयोग के लिए विनिमय की दर सरकारी स्रोत द्वारा प्रकाशित विक्रय दरो पर होनी चाहिए और जब तक निर्णय होने से पूर्व मुद्रा के मूल्य मे कोई परिवर्तन न किया जाए तब तक बोलिया खुलने के दिन तक उसी प्रकार के भुगतानो पर लागू होनी चाहिए। ऐसे मामलो मे सफल बोलीकार के निर्णय अधिसूचित करते समय विनिमय की दर उपयोग मे लाई जानी चाहिए।

बोली की मूल्याकन और मिलान की रिपोर्ट जिसमे वे विशेष कारण निर्धारित किए गए है जिन पर न्यूनतम मूल्याकित बोली का निर्धारण आधारित है ऋणी या उसके सलाहकारो द्वारा तैयार की जानी चाहिए।

खंड 4.08 बोलियों को अस्वीकृत करना :

बोली दस्तावेजों में सामान्यतया यह व्यवस्था की गई है कि ऋणी सभी बोलियों को अस्वीकृत कर सकते हैं। लेकिन बोलियों को अस्वीकार नहीं करना चाहिए और नई बोलियों में कम कीमत प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ पूर्णत: उसी विशिष्टिकरण पर नई बोलियां आमंत्रित नहीं की जानी चाहिए। यह उन मामलों को छोड़कर होगा जहां न्यूनतम मूल्यांकित बोली वास्तविक धनराशि द्वारा अनुमानित कीमत से अधिक हो जाती है। सभी बोलियों को अस्वीकार करने के लिए भी तब औचित्य देने चाहिए जहां (क) बोलियां, बोली दस्तावेज के आशय के अनुसार नहीं है या (ख) बहुत कम प्रतियोगिता है। यदि सभी बोलियों को अस्वीकार कर दिया जाता है तो ऋणी को चाहिए कि वह उस कारण या उन कारणों की पुनरीक्षा करे जिससे अस्वीकृति सिद्ध की गई है और या तो विशिष्टि-कारण के परिवर्तनों पर या परियोजना के परिशोधन पर (या बोलियों के लिए मूल आमंत्रण में मांगी गई पण्यवस्तुओं की धनराशि पर) या दोनों पर विचार करें। विशेष स्थितियों में निधि पर विचार करने के बाद ऋणी संतोषजनक संविदा प्राप्त करने के लिए किसी एक कम से कम बोली देने वाले बोलीकार या दो बोलीकार के साथ सौदा कर सकता है।

खंड 4.09 संविदा का निर्णय :

संविदा का निर्णय उस बोलीकार के लिए किया जाना चाहिए जिसकी बोली न्यूनतम मूल्यांकित बोली पर निश्चित की गई है और जो क्षमता और वित्तीय साधनों के उचित मानक को पूरा करता है। ऐसे बोलीकार के लिए यह आवश्यक नहीं होना चाहिए कि वह निर्णय को एक शर्त के रूप में विशिष्टिकरण में निर्धारित पण्य-वस्तुओं के लिए या अपनी बोली को परिशोधित करने के लिए जिम्मेदारी ले।

बोलियों का विश्लेषण करने के पश्चात् बोलियों के विश्लेषण की प्रतियां और निर्णय के लिए प्रस्ताव ऐसे प्रस्तावों के लिए कारणों सहित निधि के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

अनुच्छेद V

सलाहकारों के उपयोग के लिए मार्ग-दर्शन

खंड 5.01 सलाहकारों की स्वतंत्रता :

निधि के अन्तर्गत परियोजना के वित्तपोषण के संबंध में नियुक्त की गई सलाहकार पार्टियां इस दृष्टिकोण से स्वतंत्र होंगी कि उनकी सलाह और आलेख, विशिष्टिकरण और उनके द्वारा बनाए गए निविदा दस्तावेज राष्ट्रीय, वाणिज्यिक अथवा औद्योगिक पक्षपात से मुक्त हैं।

सलाहकार इंजीनियर जो कि ठेकेदारों अथवा विनिर्माण पार्टियों से मिले हुए हैं केवल तभी उपयोग में लाए जा सकेंगे जबकि स्वयं और उनके साथी एक ही परियोजना पर किसी भी अन्य क्षमता से कार्य के लिए अयोग्य घोषित किए जाएंगे। सलाहकार इन्जीनियरों के मामले में जो कि विनिर्माताओं के साथ लगे हुए हैं और सलाहकार सेवाएं प्रदान करते है केवल यह सुनिश्चय करने के लिए ही ध्यान नहीं रखा जाएगा कि वह कम्पनी जिससे सलाहकार संबंधित है परियोजना के किसी भी भाग पर भविष्य में बोली बोलने के लिए न केवल अयोग्य घोषित कर दी जाएगी बल्कि वे विशिष्टिकरण में निष्पक्ष होंगे और उनका प्रतियोगिता के आधार पर पालन किया जाएगा।

खंड 5.02 सलाहकारों का चयन :

सलाहकार पार्टियों के चयन के लिए औपचारिक प्रतियोगात्मक बोली क्रियाविधियों की आवश्यकता नहीं है। लेकिन, चयन के दौरान ऋणी, प्रत्याशित पार्टियों की उचित संख्या पर विचार करेगा जिसमें निधि द्वारा अधिसूचित पार्टियां भी शामिल होंगी, जिनसे पात्र स्रोत देशों द्वारा उचित तथा स्वतंत्र सेवाएं प्रदान करने की संभावना हो सकती है। प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रण कम से कम तीन पार्टियों तक बढ़ाया जा सकेगा। प्राप्त होने पर प्रस्तावों की पहले गुणात्मक आधार पर तुलना की जानी चाहिए अर्थात् योजना बनाने के संबंध में, अनुसूचियां, नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति का अनुभव और क्षमताएं, दिए गए कार्य के लिए सबसे योग्य समझी गई पार्टी अथवा पार्टियों के चयन के पश्चात् पूर्ण निर्णय पर पहुंचने के लिए संविदा के मूल्य और अन्य वित्तीय शर्तों पर मानने के लिए बातचीत प्रारम्भ की जानी चाहिए। निधि द्वारा परियोजना की तैयारी और पर्यवेक्षण के लिए दी गई सहायता के लिए ऋणी द्वारा नियुक्त किए जाने वाले अथवा पहले ही नियुक्त किए गए सलाहकारों के चयन के अनुमोदन का अधिकार निधि को प्राप्त है।

अनुबन्ध 3

प्राधिकार-पत्र जारी करने के लिए प्रार्थना-पत्र

संख्या दिनांक :

सेवा में,

सहायता लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक,
वित्त मंत्रालय,
आर्थिक कार्य विभाग,
यू०सी०ओ० बैंक बिल्डिंग, प्रथम मंजिल
पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली-110001

विषय :—1979-80 के लिए येन क्रेडिट सं० आई०बी०पी 5/पार-योजना सहायता के अन्तर्गत जापान से.....का आयात।

महोदय,

ऊपर उल्लिखित येन क्रेडिट आई बी०पी 5(परियोजना सहायता) के अधीन.....से.....जो कि.....के आयात के संबंध में.....(बैंक का नाम) जो कि वही होना चाहिए जो नीचे (ङ) में सम्बद्ध समुद्रपार संभरक के नाम में साखपत्र खोलने के लिए दिया गया है को प्राधिकारपत्र जारी करने के लिए हम आपको निम्नलिखित ब्यौरे प्रस्तुत करते हैं :—

(क) भारतीय आयातक का नाम और पता।

(ख) आयात लाइसेंस की संख्या, दिनांक और मूल्य और वह तारीख जिस तक वैध है।

(ग) प्राप्ति के तरीके——क्या वह सीधे क्रय या औपचारिक खुले अन्तर्राष्ट्रीय निविदा पर आधारित है। इसके मामले में यदि कोई कारण हो तो कारण सहित यह संकेतित होना चाहिए कि क्या संविदा का निर्णय उपयुक्त न्यूनतम तकनीकी प्रस्ताव के आधार पर किया गया है।

(घ) माल का संक्षिप्त विवरण।

(ङ) माल का उद्गम देश।

(च) यदि कोई हो तो पात्र से इतर स्रोत देशों से आयातित संघटकों का प्रतिशत।

(छ) संविदा का कुल जहाज पर निःशुल्क मूल्य (येन में)।

(ज) यदि कोई हो, तो भारतीय ऐजेन्ट के कमीशन की धनराशि (येन में)।

(झ) वास्तविक जहाज पर निःशुल्क मूल्य (येन में) जिसके लिए प्राधिकार पत्र मांगा गया है।

(ञ) समुद्रपार के संभरकों के साथ की गई संविदा की संख्या एवं दिनांक।

(ट) समुद्रपार के संभरक का नाम और पता :—

(1) राष्ट्रिकता।

(2) पात्र स्रोत देशों के राष्ट्रिकों द्वारा लिए गए शयरों का प्रतिशत।

(3) प्रतिनिधि की राष्ट्रिकता और/या सम्भरक निवास स्थान।

(4) उन निदेशकों का प्रतिशत जो पात्र स्रोत देशों के राष्ट्रिक हैं।

(ठ) वे भुगतान शर्तें और संभावित तिथि जिनको संविदा अन्तर्गत भुगतान देय होंगे।

(ड) सुपुर्दगी को पूर्ण करने की प्रत्याशित तिथि।

(ढ) भारतीय बैंक टोकियो को भुगतान करते समय दिय जाने वाले दस्तावेज (प्रत्येक सेट की संख्या और उनका निपटान दिखाते हुए)।

(ण) पोतलदान अनुदेश वाहनान्तरण/पार्ट-शिपमेंट की अनुमति दी गई है या नहीं निर्दिष्ट कीजिये।

(त) भारत में आयातक के बैंक का नाम और पता।

(थ) क्या उसी लाइसेंस के अन्तर्गत संविदा (संविदाएं) कर दी गई हैं और जापानी प्राधिकारियों को अधिसूचित कर दी गई हैं, यदि हां तो ऐसी प्रत्येक संविदा का नाम, दिनांक और मूल्य और वित्त मंत्रालय का वह संदर्भ जिसके अन्तर्गत ओ ई सी एफ को इसे अधिसूचित किया गया है।

अनुबन्ध—4

प्राधिकार पत्र का प्रपत्र

संख्या एफ

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक

सेवा में,

बैंक आफ इंण्डिया,
टोकियों शाखा,
टोकियों (जापान)

विषय :—येन क्रेडिट (परियोजना सहायता) ऋण करार संख्या आई० डी० पी०—5 के अधीन आयात साखपत्र खोलने के लिए प्राधिकार पत्र जारी करना ।

प्रिय महोदय,

आपके बैंक के साथ 25-3-1980 को दिए गए समझौते की शर्तों के अनुसार आपको एतद्द्वारा यथा संलग्न ब्यौरे के अनुसार सर्वश्री ....के नाम में .....येन धनराशि के लिए अपरिवर्तनीय साखपत्र खोलने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

आपके बैंक द्वारा खोले गए प्रत्येक साखपत्र की प्रति आयातक के बैंक ओ० ई० सी० एफ० भारतीय दूतावास टोकियो और हमें पृष्ठांकित की जाए ।

साख पत्र की शर्तों के अनुसार प्रारम्भ में संभरकों को भुगतान आपके फण्ड से किया जाएगा। भुगतान के बाद ओ०ई० सी० एफ० को आवश्यक दस्तावेज भेजकर किए गए भुगतान की प्रतिपूर्ती का दावा तत्काल करना चाहिए ।

संभरक को आपके द्वारा किए गए भुगतान की तिथि से और ओ०ई० सी०एफ० द्वारा उसकी प्रतिपूर्ति की तिथि के बीच के समय के लिए उपर्युक्त समझौते के अनुसार भारतीय दूतावास, टोकियों द्वारा सीधे ही ब्याज दिया जाएगा । बैंकों के अन्य खर्चे जिसमें साख-पत्र खोलने, रख-रखाव करने और साख-पत्रों को जारी रखने के लिए खर्च भी शामिल हैं क्योंकि वे भी परक्राम्य दस्तावेजों के संचालन से संबंधित हैं और यदि कोई हो तो विदेशी संभरकों के बैंकरों के खर्चे भी विदेशी संभरक को ही देना पड़ेगा और इसलिए आयातक द्वारा उनका भुगतान नहीं किया जाएगा और इसलिए उन्हें सीधे ही संभरकों से प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार ऐसे भुगतानों की प्रतिपूर्ति का दावा ओ० ई० सी० एफ० से नहीं किया जा सकता ।

यह प्राधिकार पत्र समुद्रपार संभरकों के नाम में साखपत्र खोलने के लिए है । इस मंत्रालय के विशिष्ट प्राधिकार के बिना इस प्राधिकरण के मद्दे खोले गए आगे के नए साख-पत्र या साख-पत्र में बाद के संशोधनों का अनुपालन नहीं किया जाएगा।

यह प्राधिकार पत्र .....तक बैध रहेगा।

भवदीय,

लेखा अधिकारी

प्रति निम्नलिखित को प्रेषित:—

1. आयातक .....को उनके पत्र संख्या ..... दिनांक .....के संदर्भ में ।

2. आयातक का बैंक .....उनसे निवेदन है/किया जाता है कि भारतीय बैंक आफ इंडिया, टोकियों ब्रांच से दस्तावेज प्राप्त करने पर विदेशी संभरकों को येन के बराबर रुपया जमा करने की व्यवस्था करें। संभरकों को चुकाई गई धनराशि के बराबर रुपए की गणना सार्वजनिक सूचना सं० 8 आई० टी० सी० (पी०एन०)/76 दिनांक 17-1-76 या अन्य ऐसी ही सार्वजनिक सूचना जो समय-समय पर जारी की जाए के अनुसार संभरकों को भुगतान करने की तिथि को यथा प्रचलित परिवर्तन की मिश्रित दर पर की जाएगी। यह सुनिश्चय कर लेना चाहिए कि आयातक को सीमा शुल्क निकासी के लिए आयात दस्तावेजो का मूल सेट दिए जाने से पूर्व यह धनराशि जमा कर दी जाती है।

ये धनराशियां या तो रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली या स्टेट बैंक आफ इंण्डिया, तीस हजारी में जमा करनी चाहिए । इस सम्बन्ध में आपका ध्यान सार्वजनिक सूचना सं० 184-आई०टी०सी० (पी०एन०)/68 दिनांक 30-8-68 संख्या 233 आई० टी० सी० (पी० एन०)/68 दिनांक 24-10-1968, संख्या 132-आई०टी० सी० (पी०एन)/71 दिनांक 5-10-1971, सं० 74 आई० टी० सी० (पी० एन०)/74 दिनांक 31-5-74 और संख्या 103 आई० टी० सी० (पी० एन०)/76 दिनांक 12-10-76 की शर्तों की ओर दिलाया जाता है । लेखा शीर्ष जिसमें धनराशि जमा की जाएगी वह "के डिपोजिट्स एण्ड एडवांसिज 843 सिविल डिपोजिटस-डिपोजिट्र्स फार परचेजिस एटसेकट्रा फ्रोम एग्रीड-परचेजिस अन्डर क्रेडिट/लोन एग्रीमेंट अन्डरडिटेलड हैड" "2.7 बिलियन येन क्रोडिट (परियोजना सहायता) सं० आई आई डी०-पी 5 फार 1979-80 फ्रोम जापान क्रेडिटस फ्रोम दि गवर्नमेंट आफ जापान" है।

जिन मामलों में तुल्य रुपया रिजर्व बैंक आफ इण्डिया, नई दिल्ली या स्टेट बैंक आफ इण्डिया, तीस हजारी में सार्वजनिक सूचना संख्या-132 आई० टी० सी० (पी० एन०)/71 दिनांक 5-10-1971 के अनुसार नकद जमा किया जाता है, उनको चालान की मूल रूप में एक प्रतिलिपि बैंक आफ इण्डिया, टोकियों शाखा से प्राप्त सूचना टिप्पणी का पूर्ण विवरण देते हुए अग्रेषण पत्र सहित उनके द्वारा निम्नलिखित पते पर भेजी जाएगी :—

सहायता लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक,
वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग)

पहली मंजिल, यू० सी० ओ० बैंक बिल्डिंग,
संसद मार्ग, नई दिल्ली।

जिस मामले में तुल्य रुपया ऊपर संकेतित सार्वजनिक सूचना सं० दिनांक 24-10-68 में यथा उल्लिखित दर्शनी हुण्डी द्वारा प्रेषित करना है उसकी सूचनाएं उपर्युक्त पते पर भेजी जानी चाहिएं। सभी मामलों में, जमा किए गए तुल्य रुपए का पूरा ब्यौरा इस विभाग को भेजना चाहिए।

समुद्रपार संभरक के बैंकर के खर्चों सहित यदि कोई हों तो, बैंकिंग खर्चे ब्याज और बैंक आफ इण्डिया, टोकियों ब्रांच के अन्य खर्चे इण्डियन बैंक और बैंक आफ इण्डिया, टोकियो शाखा द्वारा सीधे ही निर्धारित किए जाएंगे।

3. निदेशक, ऋण विभाग-2, समुद्रपार आर्थिक सहयोग निधि, टेक्समी मूशो बिल्डिंग 4-1, ओहटमिंची 1-कोमे चियोडा-कू टोकियो 100, जापान।

4. भारतीय दूतावास, टोकियो।

5. अवर सचिव, जापान अनुभाग, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, नई दिल्ली।

लेखा अधिकारी।

अनुबन्ध 5

(ओ० ई० सी० एफ०-एल०सी-1 प्रपत्र)

अपरिवर्तनीय/साख-पत्र

(माल के लिए लागू)

दिनांक ....

सेवा में,

.... [संभरक का नाम और पता]	यह साख-पत्र (ऋणी) और विदेशी आर्थिक सहयोग निधि के बीच हुए ऋण करार सं० .... दिनांक .... के अनुसरण में जारी किया गया है।

प्रिय महोदय,

हम सूचित करते हैं कि हमारे नाम में निकालने के लिए बीजक के पूरे मूल्य के लिए दर्शनी हुण्डी द्वारा उपलब्ध रकम या रकमों के लिए हमने अपरिवर्तनीय साख-पत्र सं० .... खोल दिया है जो .... येन (.......... येन कह सकते है) की कुल धनराशि से अधिक नहीं है, इसे निम्नलिखित दस्तावेज के साथ भेजा जाना है :—

हस्ताक्षरित वाणिज्यिक बीजक

क्लीन आन बोर्ड, समुद्री पोतलदान बिल जिनमें दिए गए आदेश का पूरा सेट हों ब्लैंक पृष्ठांकित एवं चिन्हित "फ्रेट" एवं "नोटिफाइ"

अन्य दस्तावेज जिसमें .... से .... तक लदान का सत्यापन दिया गया हो (संविदा संख्या ....) (यदि कोई हों) के संदर्भ में माल का संक्षिप्त विवरण आंशिक पोतलदान स्वीकृत है। वाहनान्तरण यदि स्वीकृत है।

पोतलदान बिल जो .... से बाद की तिथि का नहीं होना चाहिए।

आदेशती को ड्राफ्ट .... 19 तक अवश्य प्रस्तुत किए जाने चाहिएं।

इस क्रेडिट के अन्तर्गत सभी ड्राफ्ट और दस्तावेजों पर यह अंकन होना चाहिए।

"अपरिवर्तनीय साखपत्र संख्या .... दिनांक ...... 19 के अन्तर्गत निकलवाया गया और आयात संदर्भ संख्या (संख्याएं) (यदि कोई हो)" यह क्रेडिट हस्तान्तरणीय नहीं है।

हम एतद्द्वारा वचन देते हैं कि इस क्रेडिट के अन्तर्गत और इसकी शर्तों का अनुपालन करके निकलवाए गए सभी ड्राफ्ट प्रस्तुत करने पर और आदेशती को दस्तावेजों की सुपुर्दगी पर विधिवत् स्वीकार किए जाएंगे।

जब तक अन्यथारूप से विस्तारपूर्वक न बताया जाए यह क्रेडिट "यूनिफार्म कस्टम एण्ड प्रैक्टिस फार डाक्मेन्टस क्रेडिटस (1974 रिवीजन), इन्टरनेशनल चैम्बर आफ कामर्स, पब्लिकेशन नं० 290" के अधीन है।

सौदा करने वाले बैंक के लिए विशेष अनुदेश :

उपर्युक्त ऋण करार के अन्तर्गत जारी किए गए वचन पत्र की व्यवस्थाओं के अनुसार विदेशी आर्थिक सहयोग निधि द्वारा हमारे भुगतान के लिए प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के बाद हम वचन देते हैं कि हम सौदा करने वाले बैंक द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार हुण्डी की धनराशि को लौटा देंगे।

2. सौदा करने वाले बैंक को यह बताते हुए हमें ड्राफ्टस और दस्तावेजों का एक पूर्ण सेट और इसके साथ एक प्रमाण पत्र अवश्य भेजें कि शेष दस्तावेज सीधे ही हवाई डाक द्वारा .... को भेज दिए गए हैं।

3. इस क्रेडिट के अन्तर्गत सभी बैंक के खर्चे संभरक के लेखे के लिए हैं।

भवदीय,

(...........)

वाणिज्यिक बैंक

द्वारा ....

(प्राधिकृत हस्ताक्षर)

भुगतान शर्तें

यह भुगतान हमारी साख-पत्र सं० .... का अभिन्न अंग है

1. प्रारम्भिक भुगतान

धनराशि .... येन जो कि कुल संविदा मूल्य के .... प्रतिशत है

आपेक्षित दस्तावेज

प्रस्तुत करने की अन्तिम तारीख

2. मध्यवर्ती भुगतान (यदि कोई हों)

धनराशि .... येन जो कि कुल संविदा मूल्य का .... प्रतिशत है

आपेक्षित दस्तावेज

प्रस्तुत करने की अन्तिम तारीख

3. पोतलदान दस्तावेजों के मद्दे भुगतान

धनराशि .... येन
संविदा जो कुल मूल्य का .... प्रतिशत है

टिप्पणी :—पोतलदान दस्तावेजों के मद्दे पूर्ण भुगतान के मामले में इस संलग्न दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है।

अनुबन्ध 6

(प्रपत्र-ग्रोईसीएफ-एलसी-2)

अपरिवर्तनीय साख-पत्र

(सेवाओं के लिए लागू)

सेवा में, दिनांक

.... यह साख पत्र ऋणी और विदेशी आर्थिक सहयोग निधि के बीच हुए .... ऋण करार संख्या .... दिनांक .... के .... अनुसरण में जारी किया गया है।

[संभरक का नाम व पता]

प्रिय महोदय,

हम आपको सूचित करते हैं कि हमारे नाम में निकालने के लिए पूर्ण और मूल्य के लिए लाभकारी ड्राफ्ट एट साइट द्वारा उपलब्ध रकम या रकमों के लिए आपके नाम में हमने अपरिवर्तनीय साख-पत्र सं० .... खोल दिया है जो येन .... (येन .... पहले) की कुल धनराशि से अधिक नहीं है।

इसमें संलग्न भुगतान अनुसूची के अनुसार अपेक्षित (संविदा .... और परियोजना ....) से संबंधित दस्तावेजों को नत्थी करता है। सौदा तय करने के लिए ड्राफ्ट .... से पहले प्रस्तुत किए जाने चाहिएं।

सभी ड्राफ्ट और दस्तावेज "अपरिवर्तनीय साख-पत्र संख्या .... दिनांक .... के अन्तर्गत भुना लिए गए हैं" से चिन्हित होने चाहिएं।

यह क्रेडिट हस्तान्तरणीय नहीं है।

हम एतद्द्वारा वचन देते हैं कि इस क्रेडिट के अन्तर्गत इसकी शर्तों का अनुपालन करके भुनाए गए सभी ड्राफ्ट, प्रस्तुत करने पर और आवेशिती को दस्तावेजों की सुपुर्दगी पर विधिवत् स्वीकार किए जाएंगे।

जब तक अन्यथारूप से विस्तारपूर्वक न बताया जाए यह क्रेडिट "यूनिफार्म कस्टम एण्ड प्रैक्टिस फार डाकूमेन्टरी क्रेडिटस (1974 रिवीजन), इन्टरनेशनल चैम्बर आफ कामर्स नं० 290" के अधीन है।

सौदा करने वाले बैंक को विशेष अनुदेश :

1. इसमें संलग्न प्रपत्र के अनुसार (ऋणी अथवा इसके मनोनीत प्राधिकारी) द्वारा जारी किए गए निष्पादन के मूल विवरण की प्राप्ति के पश्चात् हम क्रेडिट के अन्तर्गत भुगतान इसमें संलग्न शीट में निर्धारित भुगतान अनुसूची के अनुसार किए जाने चाहिएं। प्रारम्भिक भुगतान के मामले में उपर्युक्त निष्पादन के विवरण के बजाय लाभकारी विवरण की आवश्यकता है।

2. ऊपर उल्लिखित ऋण समझौते के अधीन जारी किए गए वचनबद्धता पत्र के उपबन्धों के अनुसार विदेशी आर्थिक सहयोग निधि से अपने भुगतानों के लिए प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के बाद हम ड्राफ्टों की धनराशि का मोल तोल करने वाले बैंक द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार प्रेषित करने का वचन देते हैं।

3. उपर्युक्त मद 1 में यथा उल्लिखित दस्तावेज की एक प्रति और मसौदे हमें उसकी प्राप्ति के तुरन्त बाद ही भेजे जाएंगे।

4. इस साख के अन्तर्गत बैंक के सभी खर्चे संभरकों के लेखे के लिए हैं।

भवदीय,

(वाणिज्यक बैंक)

द्वारा ....

(प्राधिकृत हस्ताक्षर)

भुगतान अनुसूची

यह भुगतान अनुसूची हमारे साख पत्र स० .... का एक अभिन्न अंग है।

1. प्रारम्भिक भुगतान

धनराशि .... येन

कुल संविदा मूल्य का .... प्रतिशत है

अपेक्षित वस्तावेज :— लाभकारी विवरण की अन्तिम भुगतान तिथि :—

2. भुगतान वृद्धि

सम्पूर्ण योग की धनराशि .... येन

कुल संविदा मूल्य का .... प्रतिशत

निम्न प्रकार से भुगतान किया जाना है :—

	देय धनराशि	अन्तिम भुगतान तिथि
	येन	....
पहली किश्त	येन	....
दूसरी किश्त	येन	....
....	....	....

अपेक्षित वस्तावेज . (ऋणी अथवा उसके मनोनीत प्राधिकारी) द्वारा जारी किए गए निष्पादन के विवरण की एक प्रति जिसका एक प्रपत्र यहां संलग्न है।

निष्पादन का विवरण

दिनांक ....

संदर्भ सं० ....

सेवा में,

....

....

[संभरक का नाम और पता]

सन्दर्भ:— ऋण करार सं० .... के अन्तर्गत .... परियोजना से संबंधित .... के नाम में .... येन के लिए .... द्वारा जारी किए गए साखपत्र की सं० .... दिनांक ....।

मैं, अधोहस्ताक्षरी, प्रतिनिधि (ऋणी) एतद्द्वारा ..... और ..... के बीच हुए समझौता सं० ..... दिनांक ..... में निहित भुगतान की शर्तों के अनुसार समुद्रपार आर्थिक सहायता निधि द्वारा ..... की धनराशि (.....येन केवल) प्राप्त करने के लिए एक निष्पादन विवरण जारी करता हूं।

.....

(ऋणी)

द्वारा .....

(प्राधिकृत हस्ताक्षर)

विशेष अनुदेश:—

वास्तविक निष्पादन का विवरण इसमें संलग्न पत्र में दर्शाया जाएगा।

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE NO. 37—ITC(PN)/80

New Delhi, the 1st October, 1980

IMPORT TRADE CONTROL

Subject : Licensing conditions in respect of imports of goods and services under the Yen Credit of Y 2.7 Billion extended by the Overseas Economic Co-operation Fund (OECF).

The terms and conditions governing the issuance of import licences in respect of imports of goods and services under the Yen Credit of Y 2.7 Billion for Telecommunication Project (II) extended by the Overseas Economic Co-operation Fund (OECF) as given in Appendix to this Public Notice are notified for information.

[Issued from F. No. IPC/23/3/80]

Appendix to Ministry of Commerce Public Notice No. 37—ITC(PN)/80

New Delhi, the 1st October, 1980

Licensing Conditions in Respect of Imports of Goods and Services under the Yen Credit of Y 2.7 Billion for Telecommunication Project (II) Extended by the Overseas Economic Co-operation Fund (OECF)

Section I—General Conditions :

I(i) The Yen Credit of Y 2.7 billion extended by the Overseas Economic Co-operation Fund of Japan (OECF) for financing the import requirements of the Telecommunication Project of the DGP&T is untied in favour of developing countries. Accordingly the goods and services to be procured under this credit can be imported from Japan and all countries enumerated in the list at Annexure-I which will be eligible source countries under the credit.

I(ii) Import Licence(s) under the Credit can be issued only for such items and for such value as have been specifically cleared by the DGTD/CG Committee. The value of import licence(s) issued under this credit should not exceed Y 3,000 million, (CIF).

The rupee value of the import licence shall be determined with reference to the exchange rate notified by the Department of Revenue (Customs) and prevailing on the date of issue of the import licence and indicated in the body of the import licence(s) as per para 2 of the Public Notice No 78-ITC(PN)/74 dated the 6th June, 1974, issued by the CCI&E, which also enjoins that the Customs Authorities and the authorised dealers in foreign exchange will made debits to the value of the licence(s) at the exchange rate specified on the import licence(s). The licence will bear the superscription "Japanese Yen Credit No. ID-p. 5". The first and second suffix to the licence code will be "S/JC". This will also be repeated in the letter from the CCI&E forwarding the import licence to D.G.P&T, a copy of which should be endorsed to the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Japan Section).

I(iii) Import licence(s) can be issued only in favour of DGP&T on CIF basis.

I(iv) Depending on the convenience of DGP&T more than one import licence may be issued under this credit but the total value must not exceed Y 3,000 million (CIF) as specified at (i) above.

I(v) The extension of the validity of the import licence, may on application by DGP&T, be granted upto 31-12-84. Request for further extension, if any should be referred to the Department of Economic affairs (Japan Section).

I(vi) Imports to be financed under the Credit are restricted to the list of goods and services attached to the import licence, duly attested by the licensing authorities.

I(vii) No remittance of foreign exchange will be permitted against the import licence. Any payment towards Indian Agents commission should be made in Indian rupees to the agents in India. Such payments, however, will form part of the licence value and will, therefore be charged to the licence.

I(viii) Firm order must be placed on FOB basis on the Overseas supplier located in the countries mentioned in Annexure-I and sent to the Department of Economic Affairs (Japan Section) within 4 months from the date of issue of the import licence. Freight and insurance charges will be payable in India in Indian rupees. "Firm orders" means purchase orders placed by the Indian licensee on the overseas supplier duly signed by the latter or purchase contract duly signed by both the Indian importer and the overseas supplier. Orders on Indian Agents of overseas suppliers and/or order confirmation of such Indian Agents are NOT acceptable.

I(ix) This condition of the placement of contracts within 4 months period will be treated as not having been complied with unless complete contract documents reach the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Japan Section) within four months from the date of issue of the import licence. If firm orders as explained in para I(viii) above cannot be placed within four months for valid reasons, the licensee should submit the import licence to the concerned licensing authorities giving reasons why ordering could not be completed within four months. Such requests for extension in the ordering period will be considered on merit by the licensing authorities who may grant extension upto a further maximum period of 4 months. If, however, extension is sought beyond 8 months from the date of issue of the import licence such proposals will invariably be referred by the licensing authorities to the Department of Economic Affairs (Japan Section), Ministry of Finance, North Block, New Delhi who will consider such extension on the merits of each case and communicate their decision to the licensing authorities for communication to the licensee. Only on production by the licensee of a letter from the licensing authorities sanctioning such extension will the authorised dealers and departmental authorities permit the facilities of letter of authority for the establishment of letter of credit acceptance of deposits of the rupee equivalent, etc. in respect of supply contracts entered into under the import licence.

I(x) All payments must be completed within 4 months from the expiry of the import licence. Individual payments must be arranged upon shipment of goods. The contract should provide for payment on each basis i.e. on presentation of shipping documents. No credit facility of any kind will be permitted to be availed of by the Indian importer from the Overseas supplier. The contract shoulud provide for the period of delivery of goods as follows :

"..... Months after the receipt of Letter of credit but to be completed latest by the end of.....".

In fixing the terminal date for shipment it should be noted that this date should not be beyond 31-12-84.

Section II—Special points to be kept in view while negotiating a supply contract.

II(i) The FOB value of the contract should be expressed in Yen (Fraction of Yen should be omitted) and should exclude Indian Agent's commission, if any, which should be paid in Indian rupees.

In no circumstances the contract value should be expressed in Indian rupees or in any other currency. The purchase order

and the supplier's order confirmation should be in English only.

II(ii) The broad guidelines for procurement of goods and services under the OECF Yen Credit (Project Aid) are given in Annexure-II. However, normally the procurement of goods and services should be made through Formal Open International Tendering and the following points should be born in mind :—

(a) Invitations to bid shall have to be advertised in at least one newspaper of general circulation in India.

(b) Bid bonds or bidding guarantees are a usual requirement but they should not be set so high as to discourage suitable bidders.

(c) Bid bonds or guarantees should be released to unsuccessful bidders as soon as possible after the bids have been opened.

II(iii) In cases where Formal Open International Tendering is not considered appropriate the Fund will accept the following alternative procedures :—

(a) Where the importer has convincing reasons or maintaining a reasonable standardisation of his equipment.

(b) Where the number of qualified suppliers is limited.

(c) Where the amount involved in the procurement is so small that foreign firms clearly would not be interested or that the advantages of formal open international tendering would be outweighed by the administrative burden involved.

(d) Where, in addition to the cases (a), (b) and (c) above, the Fund deems it inappropriate to follow the formal open international tendering procedures or the Fund deems such procedure inapplicable, e.g., in case of emergency procurement.

In the above mentioned cases the following procurement procedure may be applied in such a manner as to comply with the formal open international tendering procedures to the fullest possible extent as appropriate :

(i) Formal Selective International Tendering.

(ii) Informal International Competitive Procurement.

(iii) Direct Purchases from a single supplier.

DGP&T should prepare a detailed report on the evaluation and comparison of bids setting forth the specific reasons/justifications on which the lowest evaluated bid is based and submit it in triplicate along with bid analysis statements/sheets supported by documentary evidences, if any to the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Japan Section), North Block, New Delhi who will obtain the necessary approval of the same from the Overseas Economic Cooperation Fund (OECF). It should be noted that purchase contracts will be notified by the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) (Japan Section) to the O.E.C.F. only after obtaining the OECF approval of the report etc.

II(iv) The payment to the overseas supplier should be arranged through an irrevocable letter of credit to be opened by the Bank of India, Tokyo in their favour under the OECF Yen Credit (Project Aid) No. ID-P. 5 for 1979-80 the details of which are given in Section VI below.

II(v) Only one contract should be entered into against the import licence. In exceptional cases, more than one contract may be permitted to be entered into, for which prior approval of the Department of Economic Affairs (Japan Section), Ministry of Finance, should be obtained soon after the date of issue of the import licence.

II(vi) Eligibility of Supplier

The Suppliers shall be nationals of the eligible source countries, or juridical persons governed substantially by national of the eligible source countries, satisfying the following conditions :

(a) a majority of subscribed shares shall be held by nationals of the eligible source countries.

(b) that a majority of full-time directors shall be nationals of the eligible source country; and

(c) such juridical persons have been registered in the eligible source countries.

II(vii) Declaration in Contract

The following statements of eligibility by the supplier shall be added to each contract.

"I, the undersigned, hereby certify that the goods to be supplied are produced in——————————(eligible source country).

I, the undersigned, further certify that to the best of my information and belief, the portion imported from the non-eligible source countries is less than thirty per cent (30%) in accordance with the following formula :

$$\frac{\text{Imported CIF Price + Import Duty}}{\text{Supplier's FOB Price}} \times 100\text{"}$$

and

"I, the undersigned, hereby certify that——————— (Name of company) has been incorporated and registered in——————————(name of eligible source country), and is controlled by nationals of the eligible source countries."

II(viii) Permissible imports from non-eligible source countries

Financing of goods which contain materials originating from a non-eligible source country or countries may be made, provided that the imported portion is less than thirty per cent (30%) on an item-by-item basis in accordance with the following formulae ;

$$\frac{\text{IMPORTED CIF Price + Import Duty}}{\text{Supplier's FOB Price}} \times 100$$

Section III—Conditions to be incorporated in the supply contracts

III(i) The following provisions should be specifically embodied in the supply contract :

(a) The contract is arranged in accordance with the Loan Agreement between the Government of India and the Overseas Economic Cooperation Fund of Japan (OECF) dated the 8th May, 1980 concerning the Yen Credit No. ID-P5 (Project Aid) for Tele-communication Project (II) and will be subject to the approval of Government of India and the Overseas Economic Cooperation Fund.

(b) Payments to the supplier shall be made through an irrevocable Letter of Credit to be issued by the Bank of India, Tokyo, under the Loan Agreement No. ID-P.5 dated 8th May, 1980 between the Government of India and the Overseas Economic Cooperation Fund of Japan (OECF).

(c) The Overseas suppliers agree to furnish such information and documents as may be required under the Yen Credit arrangements by the Government of India on the one hand and the OECF on the other.

(d) Certificates (triplicate) in the forms indicated in II(vii)

III(ii) In case the supplier is located in Japan, the supply contract should contain a clause that the Japanese supplier agrees to make shipping arrangements in consultation with the Embassy of India, Tokyo and that for this purpose he would keep the Embassy of India, Tokyo informed of the delivery schedule of the goods involved and notify the Embassy of India at least four weeks in advance of the shipping required so that suitable arrangements could be made. In exceptional cases where the Indian importers require it, this period of notice may be reduced. The Japanese supplier should also agree to send a cable advice to the importer after each shipment giving the necessary details and a copy thereof should be sent to the Embassy of India, Tokyo.

Section IV—Contract Approval by OECF

IV(i) Within the stipulated period for placement of firm orders the licensee should forward 4 copies of the contract duly signed by both DGP&T and Overseas suppliers supported by order confirmation in writing by the overseas supplier or their photo copies complete in all respects together with two photo of the relevant valid import licence, to Japan Section, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, North Block, New Delhi.

(ii) The above procedure will also apply to all contract—amendments causing essential modifications to the contents of contracts or in its price.

(iii) The Ministry of Finance (DEA) Japan Section will arrange to send one copy of the contract documents to the OECF for their approval for financing under Yen Credit No. JP-P.5 (Project Aid) for Telecommunication Project (ii).

Section V—Payment to the overseas suppliers—Letter of Credit Procedure

V (i) On receipt of the intimation of the contract approval from the OECF, by the Ministry of Finance Department of Economic Affairs, Japan Section, DGP&T and the CAA&A will be informed of the same. Whereafter the DGP&T should approach the Controller of Aid Accounts & Audit. (hereinafter referred to as CAA&A) Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, UCO Bank Building, Parliament Street New Delhi with a request in the form attached as Annexure-III for issue of a letter of authorisation. The CAA&A will issue a letter of authorisations in the form attached as Annexure-IV addressed to the Tokyo Branch of the Bank of India for opening an irrevocable letter of Credit as in the form attached as Annexure-V (for physical imports) or Annexure-VI (for services) in favour of the overseas supplier concerned. Copies of the Letter of Authorisation will be endorsed to the OECF, the Embassy of India, Tokyo, the importer's Bank in India, and Japan Section, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance.

V(ii) On receipt of the letter of authority, the Bank of India, Tokyo, will establish an irrevocable letter of credit as per Annexure-V (applicable to physical imports) or VI (applicable to services) in favour of the overseas suppliers concerned and will also forward a copy of the same to the OECF, Embassy of India, Tokyo, the importer's bank in India and the CAA&A.

The above procedure of opening of letters of credit on the basis of the letters of authority from CAA&A would *inso facto* apply to all such amendments to letter of authorisation/letter of credit as may become necessary due to contract amendment or otherwise.

V(iii) The overseas supplier shall, after effecting shipment of the goods, present through his bankers the documents specified in the letter of credit to the Bank of India, Tokyo. If the documents are found to be in order, the Bank of India, Tokyo will release the amount specified in the documents to the overseas supplier through his bankers and will thereafter obtain reimbursement of the said amount from the OECF.

V(iv) All charges on account of opening, maintenance and on the operation of the letter of credit will be to the account of Overseas Suppliers. Bank of India, Tokyo will, therefore, recover all these charges from the Suppliers' Bank. charges for handling and negotiating the documents and other incidentals will also be borne by the suppliers.

For the time lag between the dates of payment of the F.O.B cost of the material by the B.O.I., Tokyo to the suppliers and the date of reimbursement by the OECF the B.O.I. will charge interest as per the terms and conditions of the Agreement entered into by them with the Government of India (M/o Finance) on 25-3-1980 and get the same reimbursed by the Embassy of India, Tokyo. The expenditure on account of this interest payment by the Embassy of India in Japan will be recovered from the P&T Department (vide Section VI(iv) infra).

Section VI—Responsibility for rupee deposit

VI(i) The Bank of India, Tokyo will forward the negotiable shipping documents to the accredited bankers of DGP&T as indicated in the Appendix to the relevant Letter of Authority and the bankers will in turn ensure that the DGP&T make the rupee deposits at RBI, New Delhi or S.B.I. Tis Hazari, Delhi before releasing the shipping documents. The rupee equivalent of the Yen payments made to the overseas supplier are to be deposited into Government of India Account in the manner prescribed in Public Notice No. 74-ITC(PN)/74 dated 31-5-1974. The exchange rate to be adopted for computing the rupee equivalent of the Yen payments made to the overseas suppliers will be the composite rate of exchange applicable to the date of payment which will be worked out in accordance with the method prescribed in Public Notices No. 109-ITC(PN)/74 dated 3-8-1974 and No. 8-ITC (PN)/76 dated 17-1-1976 or as may be notified by Government from time to time through Public Notices of the CCI&E or through Exchange Control Circulars of the Reserve Bank of India. The Head of Account to which the above rupee deposits should be credited is "K-Deposits and Advances—843-Civil Deposits—Deposits for purchase etc. abroad—Purchase under credits/Loan Agreements Loans from the Government of Japan-2.7 billion Yen Credit No. ID-P.5 for Telecommunication Project (II)." The provisions regarding calculation and deposit of interest charges mentioned in the above said Public notice of 31-5-1974 will, however, not be applicable, as no interest charges are recoverable in respect of imports made by Central Government departments.

VI(ii) The amount referred to above should be deposited in cash to the credit of the Government either in the Reserve Bank of India, New Delhi, or State Bank of India, Tis Hazari, Delhi as contemplated in Public Notices No. 184-ITC(PN)/68 dated 30-8-1968, No. 233-ITC(PN)/68 dated 24-10-68, No. 132 ITC (PN)/71 dated 5-10-1971, No. 74-ITC(PN)/74 dated 31-5-1974 and No. 103-ITC(PN)/76 dated 12-10-1976.

VI(iii) The concerned Bank in India shall also furnish such additional deposit in the same manner stipulated above as may be requested by the Government of India, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, on account of service charges within seven days after such a demand is made by Ministry of Finance (Department of Economic Affairs). While filling in the various columns in the challan it should be ensured by the importers/their bankers that the information prescribed in para 2 of Public Notice No. 132-ITC(PN)/71 dated 5-10-1971 invariably indicated in the column "full particulars of remittances and authority (if any)" of the challan. The following particulars should invariably be furnished in the treasury Challans :—

(a) Ministry of Finance letter of authority No. and date.

(b) Amount of Yen currency in respect of which deposits are to be made together with rate of conversion adopted.

(c) Date of payment to the overseas supplier.

Thereafter the Treasury Challans evidencing the rupee deposit should be sent by registered post to the CAA&A indicating reference to the letter of authorisation issued by him and also enclosing copies of the invoice and shipping documents.

Note : Importer's Banks in India should ensure that the rupee deposits are invariably made within 10 days of the receipt of the advice of payments and negotiable shipping documents from the Bank of India, Tokyo and that the CAA&A Ministry of Finance (DEA), New Delhi is kept informed of the fact immediately thereafter.

VI(iv) The concerned bank in India should also endorse the amount of rupee deposits on the exchange control copy of the licence and send the requisite "S" Form to the Reserve Bank of India, Bombay.

The rupee equivalents of Yen payments on account of interest charges etc., made by Embassy of India, Tokyo, to the BOI, Tokyo will also be calculated in the manner laid down in para VI(i) of Section VI above and deposited in favour of the Principal Accounts Officers, Ministry of External Affairs, New Delhi, for which purpose, CAA&A will be issuing suitable advices.

Section VIII—Miscellaneous provisions

VIII(i) Reports on the utilisation of the import licence

The importer should send a monthly report, after the letter of credit has been opened regarding shipments and payments made there against and about the balance left, to the Controller of Aid Accounts & Audit Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi.

VIII(ii) *Notifying Suppliers of Special Conditions*

The licensee should apprise the supplier of any special provisions in the import licence which may affect the suppliers in carrying out the transaction.

VIII(iii) Disputes

It should be understood that the Government of India will not undertake any responsibllity for disputes, if any, that may arise between the licensee and the suppliers. The conditions to be fulfilled by the supplier before payment by the Bank of India, Tokyo must be clearly spelt out by the importer in Annexure-III under "Terms of Payment". Provisions dealing with settlement of disputes should be included in the conditions of contract.

VIII(iv) Future Instructions

The licensee shall promptly comply with any directions, instructions or orders issued by the Government of India from time to time regarding any and all matters arising from or pertaining to the import licence and for meeting all obligations under the Yen Credit Agreement (Project Aid) No. ID-P.5 with the Overseas Economic Cooperation Fund of Japan (OECF).

VIII(v) Breach or violation

Any breach or violation of the conditions set forth in the above clauses will result in appropriate action under the Imports and Exports (Control) Act.

VIII(vi) List of Annexures

Annexure I—List of eligible source countries.

Annexure II—Broad Guidelines for Procurement.

Annexure III—Requeust for issue of Letter of Authority.

Annexure IV—Form of Letter of Authority.

Annexure V—Form of Letter of Credit (Applicable to Physical Imports).

Annexure—VI Form of Letter of Credit (Applicable to Services).

ANNEXURE I

List of Eligible Source Countries

A. Developing Countries and Territories

(a1) Non-OPEC Developing Countries :

I. AFRICA, North of Sahara :

Egypt
Morocco
Tunisia

II. AFRICA, South of Sahara :

Angola
Botswana
Burundi
Cameroon
Cape Verde Islands
Central African Rep.
Chad
Comoro Islands
Congo, People's Republic of Dahomay
Equatorial Guinea (1)
Ethiopia
Gambia
Ghana
Guinea
Ivory Coast
Kenya
Lesotho
Liberia
Malagasy Republic
Malawi
Mali
Mauritania, Mauritius
Moozambique
Niger
Portuguese Guinea
Reunion
Rhodesia
Rwanda
St. Helena and dep (2)
Sao Tomo and Principe
Senegal
Seychelles
Sierra Leone
Somalia
Sudan
Swaziland
Terro. Afars and Issas
Togo
Uganda
Un. Rep. of Tanzania
Upper Volta
Zaire Republic
Zambia

III. AMERICA, North and Central

Bahamas
Barbados
Belize
Bermuda
Costa Rica
Cuba
Dominican Republic
El Salvador
Guadeloupe
Guatemala
Haiti
Honduras
Jamaica
Martinique
Mexico
Netherlands AnTilles
Nicaragua
Panama
St. Pierre & Miquelon
Trinidad and Tobago
West Indies (Br.) n.i.e.
(a) Associated States (3)
(b) Dependencies (4)

IV. AMERICA, South

Argentina
Bolivia
Brazil
Chile
Colombia
Falkland Islands
French Guiana
Guyana
Paraguay

(1) Formerly the territory of Spanish Guinea, including the island of Fernando Po.
(2) Including the following Islands : Ascension, Tristan da Inaccessibles, Nightingale, Gough.
(3) Main islands : Antigue, Dominica, Grenada, St. Kitts (St. Caristophe), Nevis-Anguilla, St. Lucia and St. Vincent.
(4) Main islands : Montserrat, Cayman, Turks, and Caicos, and British Virgin Islands.

Peru
Surinam
Uruguay

V. ASIA, Middle East :

Bahrain
Israel
Jordan
Lebanon
Oman
Syrian Arab Republic
United Arab Emirates (1)
Yemen Arab Republic
Yemen, People's D.R. (2)

VI. ASIA, South

Afghanistan
Bangladesh
Bhutan
Burma
India
Maldivis
Nepal
Pakistan
Sri Lanka

VII. ASIA, Far East :

Brunei
Hong Kong
Khmer Republic
Korea, Republic of
Laos
Macao
Malaysia
Philippines
Singapore
Taiwan
Thailand
Timor
Viet-Nam, Rep. of
Viet-Nam Dem. Rep.

VIII. OCEANIA

Coek Islands
Fiji
Gilbert & Ellice Is.
French Polynesia (3)
Nauru
New Calendonia
New Hebrices (Br. and Fr.)
Niue
Pacific Islands (US) (4)
Papua New Guinea
Solomon Islands (Br.)
Tonga
Wallis and Futuna
Western Samoa

IX. EUROPE :

Cyprus
Gibraltar
Greece
Malta
Spain
Turkey
Yugoslavia

(a2) Member or Association Countries of OPEC :

Algeria
Bolivia
Libyan Arab Republic
Gabon
Nigeria
Ecuador
Venezuela
Iran
Iraq
Kuwait
Qatar
Saudi Arabia
Abu Dhabi
Indonesia

ANNEXURE II

Guidelines for Procurement under the Loan

TABLE OF CONTENTS

Article Number	Title	Page No.
Article I. General		
Section 1.01	Introduction	
Section 1.02	Procedures Other than Formal Open International Tendering	
Section 1.03	Type and Size of Contracts	
Article II. Advertising and Prequalification		
Section 2.01	Advertising	
Section 2.02	Prequalification of Bidders	
Article III. Bidding Documents		
Section 3.01	References to the Fund	
Section 3.02	Bid Bonds or Guarantees	
Section 3.03	Conditions of Contract	
Section 3.04	Clarity of Specifications	
Section 3.05	Standards	
Section 3.06	Use of Brand Names	
Section 3.07	Expenditures under Contracts	
Section 3.08	Pricing of Bids	
Section 3.09	Contract Price	
Section 3.10	Price Adjustment Clauses	
Section 3.11	Advance Payments	
Section 3.12	Guarantees, Performance Bonds and Retention Money	
Section 3.13	Insurnace	
Section 3.14	Liquidated Damage and Bonus Clauses	
Section 3.15	Force Majeure	
Section 3.16	Language Interpretation	
Section 3.17	Settlement of Disputes	
Article IV. Bid Opening, Evaluation and Award of Contract		
Section 4.01	Time Interval between Invitation and Submission of Bids	

(1) Ajman, Dubai, Fujairah, Ras al Khaimah, Sharjah and Umm al Quaiwain.
(2) Including Aden and various sultanates and emirates.
(3) Comprising the Society Islands (including Tahiti), The Austral Islands, The Tuamotu-Gambier Group and the Marquesas Islands.
(4) Trust Territory of the Pacific Islands: Caroline Islands, Marshall Islands, and Marine Islands (except Guam).

Section 4.02 Bid Opening Procedures
Section 4.03 Clarification or Alteration of Bids
Section 4.04 Procedures to be Confidential
Section 4.05 Examination of Bids
Section 4.06 Postqualification of Bidders
Section 4.07 Evaluation and Comparision of Bids
Section 4.08 Rejection of Bids
Section 4.09 Award of Contract
Article V Guidelines for Use of Consultants
Section 5.01 Independence of Consultants
Section 5.02 Selection of Consultants
Attachment : Eligible Source Countries

Guidelines for procurement under the Loan

ARTICLE I

GENERAL

Section 1.01 Introduction

(a) These Guidelines set forth the rules which THE OVERSEAS ECONOMIC COOPERATION FUND (hereinafter called "the Fund") generally applies to the procurement of goods and services for a development project which the Fund finances in whole or in part by its loan.

(b) The proceeds of the Fund's loan are required to be used with due attention to considerations of economy, efficiency and non-discrimination among countries which are eligible for procurement of the above-mentioned goods and services (such countries are hereinafter called "the eligible source countries"). The Fund considers that in most cases formal open international tendering is the best method for achieving the economical and efficient procurement of the goods and services required for the development projects it finances. The Fund therefore normally requires its borrowers to obtain goods and services through formal open international tendering.

(c) The application of these Guidelines to a particular project financed by the Fund, the extent to which bidding documents and procurement procedures are subject to review by the Fund to ensure conformity with these Guidelines, eligible source countries and provisions for permissible imports from non-eligible source countries shall be stipulated in the contractual documents for the loan extended by the Fund for that project.

(d) The ultimate responsibility for the procurement of goods and services on any projects rests with the owner of the project. Since the owner is usually also the borrower, the term borrower has been used in these Guidelines to refer to the owner as well. The rights and obligations of the borrower vis a vis bidders for goods and services to be furnished for the project are governed by the bidding documents issued by the borrower and not by these Guidelines, which are concerned only with the relationship between the borrower and the Fund.

Section 1.02, Procedures other than Formal Open International Tendering.

There may be special circumstances in which formal open international tendering may not be appropriate and the Fund may accept alternative procedures in cases of following :

(a) Where the borrower has convincing reasons for maintaining a reasonable standardization of his equipment.

(b) Where the number of qualified suppliers is limited, e.g. of spare parts for existing equipment.

(c) Where the amount involved in the procurement is so small that foreign firms clearly would not be interested, or that the advantages of formal open international tendering would be outweighed by the administrative burden involved.

(d) Where, in addition to the cases (a), (b) and (c) above, the Fund deems it inappropriate to follow the formal open international tendering procedures or the Fund deems such procedures inapplicable for example in case of emergency procurement.

In the above mentioned cases the following procurement formulas may be applied in such a manner as to comply with the formal open international tendering procedures to the fullest possible extent as appropriate :

(i) Formal Selective International Tendering

(ii) Informal International Competitive Procurement

(iii) Direct Purchases from a Single Supplier

Section 1.03. Type and Size of Contracts

Contracts can be let on the basis of unit prices for work performed or items applied or of a lump sum price, or a combination of both for different portions of the contract, according to the nature of the goods or services to be provided and the bidding documents should clearly state the type of contract selected.

Contracts based principally on the reimbursement of actual costs are not acceptable to the Fund except in exceptional circumstances.

In order to foster widespread competition, individual contracts for which bids are invited shall, whenever feasible, be of a size large enough to attract bids on an international basis. On the other hand, if it is technically and administratively possible to divide a project into contracts of a specialized character and such division is likely to be advantageous and to allow broader formal open international tendering the project shall be so divided.

Single contracts for engineering, equipment and construction to be provided by the same party ("Turnkey Contracts") are acceptable if they offer technical and economic advantage for the borrower country.

ARTICLE II

ADVERTISING AND PREQUALIFICATION

Section 2.01. Advertising

On all contracts subject to formal open international tendering invitations to bid should be advertised in at least one newspaper of general circulation in the borrower's country. Copies of the invitation to bid for the advertisement should also be transmitted promptly to local representatives of the eligible source countries.

Section 2.02. Prequalification of Bidders

In case the Fund recognises necessity of prequalification of bidders, the Fund requires the use of prequalification. It should be done taking into account (i) the experience and past performance of each firm on similar work, (ii) its capabilities with respect to personnel, equipment and plant, and (iii) its financial positions. Abbreviated specifications shall be made available to contractors desiring to be considered for qualification. When prequalification is employed, all firms which are found to be qualified shall be permitted to bid.

ARTICLE III

BIDDING DOCUMENTS

Section 3.01. References to the Fund

Bidding documents should refer to the following language :

".....(name of borrower) ..... has received (or in appropriate cases 'has applied for') a loan from THE OVERSEAS ECONOMIC COOPERATION FUND in.....towards the cost of (name of project)."

Section 3.02. Bid Bonds or Guarantees

Bid bonds or bidding guarantees are usual requirement, but they should not be set so high as to discourage suitable bidders. Bid Bonds or guarantees should be released to unsuccessful bidders as soon as possible after the bids have been opened.

Section 3.03. *Conditions of Contract*

The conditions of contract should clearly define the rights and obligations of the borrower and the contractor or supplier, and the powers and authority of the engineer, if one is employed by the borrower, in the administration of the contract and any variations thereunder. In addition to the customary general conditions of contract, some of which are referred to in these Guidelines, special conditions appropriate to the nature and location of the project should be included.

Section 3.04. *Clarity of Specifications*

Specifications should set forth clearly and precisely as possible the work to be accomplished, the goods and services to be supplied and the place of delivery or installation. The drawings should be consistent with the text of the specifications; where they are not, the text shall govern. The specifications should identify the main factors or bases which will be taken into account in devaluating and comparing bids. Any additional information, clarification, correction of errors or alterations of specifications shall be sent promptly to all those who had requested the original bidding documents. Invitations to bid should contain an indication of the eligible source countries and any provision for permissible imports from non-eligible source countries.

Except where the Fund has agreed to procedures other than formal open international tendering (see Section 1.02) the specifications should be so worded as to permit and encourage the widest possible international bidding.

Section 3.05. *Standards*

If national standards to which equipment or materials must comply are cited, the specifications should state that goods meeting Japan Industrial Standard or other international accepted standards, which ensure an equal or higher quality than the standards mentioned, will also be accepted.

Section 3.06. *Use of Brand Names*

Specifications should be based on performance capability and should only prescribe brand names, catalogue numbers, or products of a specific manufacturer if specific spare parts are required or it has been determined that a degree of standardization is necessary to maintain certain essential features. In the latter case the specifications should permit offers of alternative goods which have similar characteristics and provide performance and quality at least equal to those specified.

Section 3.07. *Expenditures under Contracts*

As the use of the Fund's loan is limited to financing expenditures for goods produced in the territories of the eligible source countries, permissible imports from non-eligible source countries and services supplied from the eligible source countries, the bidding documents should require the contractor or supplier to limit his expenditures under the contract accordingly or to identify expenditures in non-eligible source countries in his statements or invoices.

For statistical purposes the Fund requires information concerning their geographical origin of the goods and services it finances and of their major components. The bidding documents should require the contractor or supplier to furnish the necessary information.

Section 3.08. *Pricing of Bids*

As the Fund's loan is denominated in Japanese Yen, the bid price should be stated in Japanese Yen provided, however, that for the portion of the bid price which the bidder expects to spend in the borrower's country such portion should be stated in the borrower's currency.

Section 3.09. *Contract Price*

The contract price should be stated in Japanese Yen provided, however, that the portion of the contract price which the contractor will spend in the borrower's country should be stated in the borrower's currency.

Section 3.10. *Price Adjustment Clauses*

Bidding documents should contain a clear statement whether firm prices are required or escalation of the bid prices is acceptable.

In appropriate cases, provision should be made for adjustment (upwards or downwards in the contract prices in the event changes occur in prices of the major cost constituents of the contract such as labour and important materials.

The specific formula for price adjustments should be clearly defined in the bidding documents so that the same provisions will apply to all bids.

A ceiling of prices adjustment should be included in contracts for the supply of goods, but it is not usual to include such a ceiling in contracts for civil works.

No price adjustments should normally be provided for goods to be delivered within one year.

The Guidelines do not attempt to identify the various methods by which contract prices may be adjusted.

Section 3.11. *Advance Payments*

The percentage of the total payment to be made in advance from effectuation of the contract for mobilization expenses should be reasonable. Other advances to be made, as for example for materials delivered to the site for incorporation in the works, should also be clearly described in the bidding documents.

Section 3.12. *Guarantees, Performance Bonds and Retention Money*

Bidding documents for civil works should require some form of surety to guarantee that the work will be continued until it is completed. This surety can be provided either by a bank guarantee or by a performance bond, the amount of which will vary with the type and magnitude of the work, but should be sufficient to protect the borrower in case of default by the contractor. Its life should extend sufficiently beyond completion of the contract to cover a reasonable warranty period. The amount of the guarantee or bond required should be defined in the bidding documents.

In contracts for the supply of goods it is usually preferable to have a percentage of the total payment held as retention money to guarantee performance than to have a bank guarantee or bond. The percentage of the total payment to be held as retention money and the conditions for its ultimate payment should be stipulated in the bidding documents. If, however, a bank guarantee or bond is preferred it should be for a nominal amount.

Section 3.13. *Insurance*

The bidding documents should state precisely the types of insurance to be provided by the successful bidder.

Section 3.14. *Liquidated Damage and Bonus Clauses*

Liquidated damage clauses should be included in bidding documents when delays in completion or delivery will result in extra cost, loss of revenues or loss of other benefits to the borrower. Provision may also be made for a bonus to be paid to contractors for completion of civil works contracts at or ahead of times specified in the contract when such earlier completion would be of benefit to the borrower.

Section 3.15. *Force Majeure*

The conditions of contract included in the bidding documents should contain clauses, when appropriate stipulating that failure on the part of the parties to perform their obligations under the contract shall not be considered a default under the contract if such failure is the result of an event of force majeure (to be defined in the conditions of contract).

Section 3.16. *Language Interpretation*

Bidding documents should be prepared in English. If other language should be used in the bidding documents, Eng-

lish should be added to the such documents and it is required to specify which is governing.

Section 3.17. *Settlement of Disputes*

Provisions dealing with the settlement of disputes should be included in the conditions of contract. It is appropriate that the provisions should be based on "Rules of Conciliation and Arbitration" which has been prepared by International Chamber of Commerce.

ARTICLE IV

Bid Opening, Evaluation and Award of Contract

Section 4.01. *Time Interval between Invitation and Submission of Bids*

The time allowed or preparation of bids will depend to a large extent upon the magnitude and complexity of the contract. Generally not less than 45 days should be allowed for international bidding, Where large civil works are involved, generally not less than 90 days should be allowed to enable prospective bidders to conduct investigations at the site before submitting their bids. The time allowed, however, should be governed by the circumstances relaing to each project.

Section 4.02. *Bid Opening procedures*

The date, hour and place for latest receipt of bids and for the bid opening should be announced in the invitations to bid and all bids should be opened publicly at the stipulated time. Bids received after this time should be returned unopened. The name of the bidder and total amount of each bid and of any alternative bids if they have been requested or permitted should be read aloud and recorded.

Section 4.03. *Clarifications or Alteration of Bids*

No bidder should be permitted to alter his bid after the bids have been opened. Only clarifications not changing the substance of the bid may be accepted. The borrower may ask any bidder for a clarification of his bid but should not ask bidder to change the substance or price of his bid.

Section 4.04. *Procedures to be Confidential*

Except as may be required by law, no information relating to the examination clarification and evaluation of bids and recommendations concerning awards should be communicated after the public opening of bids to any persons not officially concerned with these procedures until the award of a contract to the successful bidder is announced.

Section 4.05. *Examination of bids*

Following the opening, it should be ascertained whether material errors in computation have been made in the bids, whether the bids are fully responsive to the bidding documents, whether the required sureties have been provided, whether documents have been properly signed and whether the bids are otherwise generally in order. If a bid does not substantially conform to the specifications, or contains inadmissible reservations or is not otherwise substantially responsive to the bidding documents, it should be rejected. A technical analysis should then be made to evaluate each responsive bid and to enable bids to be compared.

Section 4.06. *Postqualification of Bidders*

In the absence of prequalification, the borrower should determine whether the bidder whose bid has been evaluated the lowest has the capability and financial resources effectively to carry out the contract concerned. If the bidder does not meet that test, his bid should be rejected.

Section 4.07. *Evaluation and comparison of Bids*

Bid evaluation must be consistent with the terms and conditions set forth in the bidding documents. In addition to the bid price, adjusted to correct arithmetical erros, other factors such as the time of completion of construction or the efficiency and compatibility of the equipment, the availability of service and spare parts, and the reliability of construction methods proposed should be taken into consideration. To the extent practicable these factors should be expressed in monetary terms according to criterla specified in the bidding documents. The amount of escalation for price adjustments, if any, included in the bids should not be taken into consideration.

The currency or currencies in which the price offered in each bid would be paid by the borrower if that bid were accepted should be valued in terms of a single currency selected by the borrower for comparison of all bids and stated in the bidding documents. The rates of exchange to be used in such valuation should be the selling rates published by an official source, and applicable to similar transactions on the day bids are opened unless there should be a change in the value of the currencies before the award is made. In such cases the exchange rates at the time of the decision to notify the award to the successful bidder should be used.

A detailed report on the evaluation and comparison of bids setting forth the specific reasons on which the determination of the lowest evaluated bid is based should be prepared by the borower or by its consultants.

Section 4.08. *Rejection of Bids*

Bidding documents usualy provide that borrowers may reject all bids. However, all bids should not be rejected and new bids invited on the same specifications solely for the purpose of obtaining lower prices in the new bids, except in cases where the lowest evaluated bid exceeds the cost estimates by a substantial amount. Rejection of all bids may also be justified when (a) bids are not responsive to the intent of the bidding documents, or (b) there is a lack of competition. If all bids are rejected, the borrower should review the cause or causes justifying the rejection and either consider revisions of the specifications or modification in the project (or amounts of work on items called for in the original invitation to bids), or both. In special circumstances, after consultation with the Fund, the borrower may negotiate with one or two of the lowest bidders to try to obtain a satisfactory contract.

Section 4.09. *Award of Contract*

The award of a contract should be made to the bidder whose bid has been determined to be the lowest evaluated bid and who meets the appropriate standards of capability and financial resources. Such bidder should not be required, as a condition of award, to undertake responsibilities or work not stipulated in the specifications or to modify his bid.

After bids have been analyzed, copies of the analysis of bids and proposals for awards, together with the reasons for such proposals, shall be submitted to the Fund for approval.

ARTICLE V

Guidelines for the Use of Consultants

Section 5.01. *Independence of Consultants*

Consultant firms employed in relation to a project financed under the Funds shall be independent in the sense that their advice and the designs, specifications and tender documents prepared by them shall be free of national, commercial or industrial bias.

Consulting engineers who are associated with contracting or manufacturing firms shall be used only if they disqualify themselves and their associates for work in any other capacity on the same project. In the case of consulting engineers who are affiliates of manufacturers offering consulting services steps shall be taken not only to ensure that the company to which the consultant is affiliated will be disqualified from future bidding on any part of the project, but also that specifications will be impartial and can be complied with on a competitive basis.

Section 5.02. *Selection of Consultants*

Formal competitive bidding procedures are not required for the selection of consulting firms. However, in the process of selection the borrower shall consider a reasonable

number of prospective firms, including those notified by the Fund, which can be expected to render competent and independent services from the eligible source countries. Invitations to submit proposals shall be extended to at least three firms. Proposals, when received it should first be qualitatively compared, i.e., with respect to plans of approach, schedules, experience and capabilities of personnel to be assigned; after selection of a firm or firms considered to be best qualified for the assignment has been made, negotiations to agree upon the price and other financial terms of the contract should be opened so as to reach the final decision. The Fund reserves the right to approve the choice of the consultant to be employed or already employed by the borrower for the preparation and supervision of the project financed by the Fund.

ANNEXURE III

Request for issue of the letter of authority

No. Date :

To

The Controller of Aid Accounts & Audit,
Ministry of Finance,
Department of Economic Affairs,
U.C.O., Bank Building, 1st Floor,
Parliament Street,
New Delhi-110001.

Sub :—*Import of from Japan under the Yen Credit No. ID-P5 (Project Aid) for* 1979-80.

Sir,

In connection with the import of ..... from ..... under the above mentioned Yen Credit No. ID-P.5 (Project Aid) we furnish the following particulars to enable you to issue the Letter of Authority to the..... (name of the Bank) which should be the same as given in (n) below for opening a letter of credit in favour of the overseas supplier concerned).

(a) Name and Address of the Indian importer.

(b) Number, date and value of the import licence and date upto which it is valid.

(c) Method of procurement—whether it is based on direct purchase or Formal Open International tendering in which case it should be indicated whether the contract has been awarded on the basis of technically suitable offer with reasons, if any.

(d) Brief description of the goods.

(e) Origin of the goods.

(f) Percentage of the import components from non-eligible source countries, if any.

(g) Gross FOB value of contract (in Yen).

(h) Amount of Indian agents commission in (Yen), if any.

(i) Net FOB value (In Yen) for which the Letter of Authority is required.

(j) Number and date of the contract with Overseas suppliers.

(k) Name and Address of the Overseas Supplier :

(i) Nationality.

(ii) Percentage of the shares held by Nationals of the eligible source countries.

(iii) Nationality of the representatives and/or President of the Supplier.

(iv) Percentage of Directors who are nationals of eligible source countries.

(l) Payment terms and probable dates on which payments under the contract will fall due.

(m) Expected date of completion of deliveries.

(n) Documents to be presented at the time of payment to Bank of India, Tokyo (indicating No. of sets of each and their disposal).

(o) Shipment instructions (indicate if trans-shipment/part-shipment permitted or not permitted).

(p) Name and address of the importer's bank in India.

(q) Whether a contract(s) under the same licence has been placed and notified to the Japanese authorities, and if so, the No., date and value of each such contract and the reference of the Ministry of Finance under which it has been notified to the O.E.C.F.

ANNEXURE IV

(Letter of Authority Form)

No. F.

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

New Delhi, the

To

The Bank of India,
Tokyo Branch
Tokyo (Japan).

Subject : Import under Yen Credit (Project Aid)—Loan Agreement No. ID-P5—Issue of Letter of Authority for opening Letter of Credit.

Dear Sirs,

In accordance with the terms and conditions of the agreement dated 25-3-1980 entered into with your Bank, you are hereby authorized to open irrevocable Letter of Credit for an amount not exceeding Yen————favouring M/s.————as per attached details.

A copy each of the letter of credit opened by your Bank may be endorsed to the importer's Bank; to the OECF Embassy of India, Tokyo and to us.

Payments to the suppliers in terms of the letter of credit will be made initially out of your own funds. After payments, you must claim immediately reimbursements of the amounts paid by furnishing necessary documents to the OECF.

For the time lag between the dates of payment by you to the supplier and the date of its reimbursement by the OECF, you will be paid interest as per terms of the above agreement by the Embassy of India, Tokyo. The other banking charges including those on account of opening maintenance and for the operation of the Letter of Credit as also those connected with handling negotiating documents and charges of overseas suppliers bankers if any, are to be borne by the Overseas Suppliers and hence not payable by the importer and may therefore be recovered from the Suppliers directly. As such no reimbursement of such charges is to be claimed from the OECF.

As and when any payment is made by you and reimbursement is made to you, an advice in the prescribed form should be sent to this Ministry.

This Letter of Authority is intended for opening of L/C favouring the overseas suppliers. Subsequent amendments to L/C or further fresh L/Cs against this authorisation may not be acted upon in the absence of a specific authority from this Ministry.

This Letter of Authority will remain valid upto————.

Yours faithfully,

Accounts Officer

Copy forwarded to :—

1. Importer——————with reference to their letter No.————dated————.

2. Importers' Banker——————. They are requested to arrange to deposit the rupee equivalent of the Yen payment to the overseas suppliers on receipt of documents from the Bank of India, Tokyo Branch. The rupee euivalent of amounts disbursed to the suppliers will have to be calculated by applying the composite rate of conversion as prevailing on the date of payment to overseas suppliers in accordance with the Public Notice No. 8-ITC(PN)/76 dated 17-1-1976 or such other Public Notices as may be issued from time to time. It should be ensured that these deposits are made before the original set of import documents are handed over to the importer for Customs clearance.

These amounts should be deposited either with the RBI, New Delhi or the S.B.I., Tis Hazari, Delhi. In this connection their attention is also invited to the provisions of the Public Notices No. 184-ITC(PN)/68 dated 30-6-68, 233-ITC (PN)/68 dated 24-10-1968, 132-ITC(PN)/71 dated 5-10-1971, No. 74-ITC(PN)/74 dated 31-5-1974 and No. 103-ITC(PN)/76 dated 12-10-1976. The head of Account to be credited is "K-Deposits and Advances—843—Civil Deposits—Deposit for purchases etc. abroad under Purchases under Credit/Loan Agreements—Loans from the Government of Japan—27 billion Yen Credit (Project Aid) No. ID-P.5 for 1979-80".

One copy of the challan in original, in cases where the rupee equivalents are credited in cash at the RBI, New Delhi, or the SBI, Tis Hazari, Delhi as prescribed in Public Notice No 132-ITC(PN)/71 dated 5-10-1971, should be sent by them to the address given below along with a forwarding letter giving full details of the advice notes received from the Bank of India, Tokyo Branch.

The Controller of Aid Accounts & Audit, Ministry of Finance (Department of Economic Affairs), 1st Floor, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi-1.

In cases where the rupee equivalents are remitted by means of demand drafts as laid down in the Public Notice dated 24-10-1968 mentioned above, intimations thereof should be sent to the address given above. In all cases, full particulars of the rupee equivalents deposited should be furnished to this Department.

The banking charges, interest and other charges of the Bank of India, Tokyo Branch (including charges of the overseas suppliers bankers), if any should be settled by paying their rupee equivalents to the Principal Accounts Officer in the Ministry of External Affairs, New Delhi. For this purpose appropriate advices will be sent by this Department on receipt of relevant information from the Bank of India, Tokyo/Embassy of India in Japan.

3. The Director, Loan Department-II, Overseas Economic Cooperation Fund, Takebashi Godo Building 4-1, Ohtemachi 1-Chome, Chiyoda-Ku, Tokyo 100. Japan.

4. Embassy of India, Tokyo.

5. The Under Secretary, Japan Section, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, New Delhi.

Accounts Officer.

ANNEXURE V

Form OECF-LCT

Irrevocable Letter of Credit

(Applicable for goods)

To—————— Date :

(Name and address of the Supplier)

This Letter of Credit has been issued pursuant to Loan Agreement No.——————,

dated————

between (Borrower) and the Overseas Economic Co-operation Fund.

Dear Sirs,

We advise you that we have opened our irrevocable credit No.————in your favour for account of———— for a sum or sums not exceeding an aggregate amount of ——————(Say Yen) available by your draft at sight for full invoice value drawn on us, to be accompanied by the following documents :

Signed commercial invoice in

Full set of clean on board ocean bills of lading made out to order and blank endorsed and marked "Freight" and "Notify " Other documents

evidencing shipment of (brief description of goods to be shipped referring to Contract No. (if any) from to . Partial shipments are permitted. Transhipment is permitted. Bills of lading must be dated not later than Drafts must be presented for negotiation not later than.

All drafts and documents under this credit must be market "Drawn under irrevocable credit No. , dated and Import Reference No. (s). (if any)".

This credit is not transferable.

We hereby undertake that all drafts drawn under and in compliance with the terms of the credit shall be duly honoured on due presentation and delivery of documents to the drawee

Unless otherwise expressly stated, this credit is subject to "Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (1974 Revision), International Chamber of Commerce Bochure No. 290".

Special Instructions to the negotiating bank :

1. After obtaining the reimbursement for our payments from the Overseas Economic Cooperation Fund in accordance with the provisions of the Letter of Commitment issued thereby under the above-mentioned Loan Agreement, we undertake to remit the amount of the drafts in accordance with instructions issued by the negotiating bank.

2. The negotiating bank must forward the drafts and one complete set of documents to us together with the certificate stating that the remaining documents have been airmailed direct to——————.

3. All banking charges under this credit are for the account of suppliers.

Yours faithfully,

(a commercial bank)

By ————

(Authorised Signature)

PAYMENT TERMS

This payment terms constitutes an integral part of out Letter of Credit No.......................

I. Initial Payment :

Amount : ....

being ....% of the total contract price.

Required documents :

Latest presentation date :

II. Intermediate Payment (if any)

Amount : ....

being ....% of the total contract price.

Required documents :

Latest presentation date :

III. Payment against Shipping Documents

Amount : ....

being ....% of the total contract price.

Note : This attached sheet is not required in case of full payment against shipping documents.

ANNEXURE VI

Form OECF-LC II

Irrevocable Letter of Credit

(Applicable for Services)

Date :

To

____

____

(Name and address of the Supplier)

This Letter of Credit has been issued pursuant to Loan Agreement No.— dated————, between (Borrower) and The Overseas Economic Co-operation Fund.

Dear Sirs,

We advise you that we have opened our irrevocable credit No————in your favour for account of———— for a sum or sums not exceeding an aggregate amount of Y————————(Say Yen) available by beneficiary's drafts at sight for full Statement value drawn on us.

To be accompanied by the required documents, in accordance with the Payment Schedule attached hereto, concerning (Contract No.................with regard to ———— Project). Drafts must be presented for negotiation not later than

All drafts and documents must be marked "Drawn under irrevocable credit No.————dated———— — ——— '

This credit is not transferable.

We hereby undertake that all drafts drawn under and in compliance with the terms of the credit shall be duly honoured on due presentation and delivery of document to the drawee.

Unless otherwise expressly stated, this credit is subject to "Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (1974 Revision), International Chamber of Commerce Brochure No. 290".

Special Instructions to the negotiating bank :

1. After receipt of the original Statement of Performance issued by (Borrower or its designated authority) in accordance with the form attached hereto, payment(s) under this credit must be made in accordance with the Payment Schedule stipulated in the sheet attached hereto. In case of the initial payments, the beneficiary's Statement is required instead of the above-mentioned State of Performance.

2. After obtaining the reimbursement for our payment from The Overseas Economic Cooperation Fund in accordance with the provisions of the Letter of Commitment issued thereby under the above-mentioned Loan Agreement, we undertake to remit the amount of the drafts in accordance with the instructions issued by the negotiating bank.

3. A copy of the document as mentioned in item 1 above the drafts shall be sent to us immediately after the receipt thereof.

4. All banking charges under this credit are for the account of the suppliers.

Yours faithfully,

(a commercial bank)

By :————————

(Authorized Signature)

PAYMENT SCHEDULE

This payment schedule constitutes an integral part of our Letter of Credit No.. ....

I. Initial Payment

Amount : ....

being ....% of the total contract price.

Required documents : beneficiary's Statement

Latest presentation date :

II. Progress Payment

Aggregate amount : ....

being ....% of the total contract price to be paid as follows :

	Amount due	Latest presentation date
1st Instalment :	....	....
2rd Instalment :	....	....

Required document : a copy of Statement of Performance issued by (Borrower or its designated authority), a form of which is attached hereto.

STATEMENT OF PERFORMANCE

Date :

Ref. No.

To

....

....

(Name and address of the Supplier)

Re : Letter of Credit No....................................dated issued by.. for..in favour of ....concerning.........Project under Loan Agreement No.......................................

I, the undersigned, representing (Borrower), hereby issued a Statement of Performance to entitle................ to receive the sum of.................................(Yen...............only) from THE OVERSEAS ECONOMIC COOPERATION FUND in accordance with the Payment Terms stipulated in the Contract No. ....dated........................., between ....and ....

....

(Borrower)

By :.......................

(Authorised Signature)

Special Instructions :

The details of the actual performance shall be stated in the sheet attached hereto.

सार्वजनिक सूचना सं० 38—आईटीसी (पीएन) 80

नई दिल्ली, 1 अक्तूबर, 1980

विषय :— अप्रैल 1980–मार्च 1981 के लिए आयात नीति।

वाणिज्य विभाग की सार्वजनिक सूचना सं० 9—आई टी सी (पी एन)/80 दिनांक 15 अप्रैल, 1980 के अन्तर्गत प्रकाशित अप्रैल 1980—मार्च 1981 की आयात नीति की ओर ध्यान दिलाया जाता है।

2. उक्त आयात नीति में नीचे निर्दिष्ट उपयुक्त स्थानों पर निम्नलिखित संशोधन किए गए समझे जाएंगे :—

क्रम सं०	आयात नीति 1980–81 की पृष्ठ संख्या	संदर्भ	संशोधन
1	2	3	4
1.	24	अध्याय 15—विविध उपबन्ध	विद्यमान पैरा 3 के बाद निम्नलिखित नया पैरा जोड़ा जाएगा :— "(19) गैस सिलेन्डरों का आयात 3-क (1) गैस सिलेन्डरों के आयात के लिए आवेदन पत्रों पर मुख्य नियंत्रक आयात निर्यात द्वारा मूल्य को ध्यान में न रखते हुए विचार किया जाएगा आवेदन पत्र पूंजीगत माल के आयात के लिए निर्धारित प्रपत्र में भेजे जाने चाहिएं। (2) आवेदन पत्रों पर देसी उत्पादन को ध्यान में रखते हुए पात्रता के आधार पर विचार किया जाएगा। मुख्य नियंत्रक आयात निर्यात, नई दिल्ली शासनिक मंत्रालय और संबद्ध तकनीकी प्राधिकारियों के परामर्श से उपयुक्त मार्गनिर्देशन बिन्दु बनायेंगे जिससे कि आयात की अनुमति उसी सीमा तक दी जा सके जिस सीमा तक देसी स्रोतों से मांग की पूर्ति न हो सकती हो। (3) एल पी जी सिलेन्डरों के आयात की अनुमति नहीं दी जाएगी। (4) चिकित्सा गैसे सिलेन्डरों के आयात की अनुमति वास्तविक उपयोक्ताओं की पूर्ण आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए दी जाएगी। (5) हाई प्रेशर सिलेन्डरों के आयात की अनुमति भी वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं० 33–आई टी सी (पी एन)/80 दिनांक 19/8/1980 में किए गए प्रावधानों के अनुसार वास्तविक उपयोक्ताओं को अतिरिक्त सामान के रूप में दी जाएगी। संघटकों के रूप में वास्तविक उपभोक्ताओं को उन के आयात की अनुमति सम्पूरक लाइसेंसों के लिए क्रियाविधि के अधीन दी जा सकती है।
2.	47	परिशिष्ट 1, प्रविष्टि सं० 6 (15)	यह प्रविष्टि हटा दी जाएगी।
3.	82	परिशिष्ट 5, प्रविष्टि सं० 140 क (4)—हाई स्ट्रेंथ ग्लास फाइबर फ्रैब्रिक और रोविंग्स।	यह प्रविष्टि हटा दी जाएगी।
4.	87	परिशिष्ट 5 प्रविष्टि सं० 389	यह प्रविष्टि निम्नलिखित अनुसार पढ़ने के लिए संशोधित की जाएगी :— "पीतल और कांसे इलैक्ट्रोडस, छड़ें/तार।"
5.	87	परिशिष्ट 5, प्रविष्टि सं० 409	यह प्रविष्टि हटा दी जाएगी।
6.	87	परिशिष्ट 5 प्रविष्टि सं० 486 (4)	विद्यमान विवरण निम्नलिखित अनुसार पढ़ने के लिए संशोधित किया जाएगा :— "कप्लिंग कैपेसिटर्स (पावर लाईन उपस्कर के संघटक (1)"
7.	89	परिशिष्ट 5 प्रविष्टि सं० 466 (5) (1)	विद्यमान विवरण निम्नलिखित अनुसार पढ़ने के लिए संशोधित किया जाएगा :— "10000 एम एफ डी मूल्य तक अधिकतम 50 वी और 50 वी से अधिक और 450 वी तक के रेटिंग के 2000 एम एफ डी मूल्य के रेटिंग के इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर्स।"

[मिसिल सं० आईपीसी/3/9/80 से जारी]

मणि नारायण स्वामी, मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात

PUBLIC NOTICE NO. 38—ITC(PN)/80

New Delhi, the 1st October, 1980

Subject : Import Policy for April 1980—March 1981.

Attention is invited to Import Policy for April 1980—March 1981 published under the Department of Commerce Public Notice No. 9-ITC(PN)/80 dated the 15th April, 1980.

2. The following amendments shall be deemed to have been made in the said Import Policy at the appropriate places indicated below :

S. No.	Page No. of Import Policy, 1980-81	Reference	Amendments
1	2	3	4
1.	24	Chapter 15-Miscelleneous Provisions.	After the existing para 111, the following new para shall be added :— "(xix) Import of Gas Cylinders III-A. (1) Applications for import gas cylinders will be considered by Chief Controller of Imports and Exports, New Delhi, irrespective of the value involved. The applications should be made in the form prescribed for import of Capital Goods. (2) Applications will be considered, on merits, having regard to indigenous production. The CCI&E New Delhi will formulate suitable guidelines in consultation with the administrative Ministry and the technical authorities concerned so that import is allowed to the extent the demand can not be met from the indigenous sources. (3) Import of LPG cylinders will not be allowed. (4) Import of medical gas cylinders will be allowed to meet the full requirement of Actual Users. (5) Import of high pressure cylinders will also be allowed as spares to Actual Users in accordance with the provisions made in the Ministry of Commerce Public Notice No. 33-ITC (PN)/80 dated 19-8-1980. As components their import may be allowed to Actual Users under the procedure for supplementary licences.
2.	47	Appendix 1, Entry No. 6(15)	This Entry shall be deleted.
3.	82	Appendix 5, Entry No. 140A (iv)—High Strength glass fibre fabric and rovings	This entry shall be deleted.
4.	87	Appendix 5, Entry No. 389	This entry shall be amended to read as under : "Brass and bronze electrodes, rods/wires."
5.	87	Appendix 5, Entry No. 409	This entry shall be deleted.
6.	89	Appendix 5, Entry No. 486(4)	The existing description shall be amended to read as under :— "Coupling capacitors (components of power-line equipment)."
7.	89	Appendix 5, Entry No. 486(5)(i)	The existing description shall be amended to read as under :— "Electrolytic capacitors of rating not exceeding 50V with value upto 10,000 mfd., and above 50 V and upto 450V with value 2,000 mfd."

[Issued from file No. IPC/3/9/80]

MANI NARAYANSWAMI,
Chief Controller of Imports & Exports

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1980